



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 18 अप्रैल, 2011 ई0
चैत्र, 28, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 137 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2011
देहरादून, 18 अप्रैल, 2011

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 को दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली के प्रभावी विनियमन और उनके लिए उचित एवं आधुनिक मण्डी प्रणाली की स्थापना एवं विकास, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात के उत्थान तथा मण्डियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए और इस विषय से सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो—

अध्याय—एक

प्रारम्भिकी

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 है।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये।
- परिभाषाएं
2. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —
- (एक) “कृषि उत्पाद” से कृषि, उद्यान—कर्म, पुष्पकर्म, द्राक्षा—कृषि, मधुमक्खी पालन, कोश कीट पालन, मत्स्य संवर्धन, पशुपालन या वन उत्पाद के सभी उत्पादन एवं वस्तुयें, चाहे वह प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं, की ऐसी मदें अभिप्रेत हैं, जिसको समय—समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट करें अथवा घोषित करे और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण एवं प्रसंस्कृत मदें भी हैं और इसमें गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी व जगरी भी शामिल होंगे;
- (दो) “कृषक अथवा उत्पादक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कृषि उत्पादन को या तो स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले—पोसे, किन्तु ऐसे उत्पादक सम्मिलित नहीं हैं, जो मण्डी कृत्यकारी जैसे—व्यापारी, दलाल या आढ़तिया के रूप में कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो;
- (तीन) “बिल” से व्यापारी, कमीशन एजेन्ट अथवा आढ़तियों द्वारा जारी किया गया बिल, जैसा कि विहित हो, अभिप्रेत है;
- (चार) “बोर्ड” से इस अधिनियम की धारा 47 के अधीन गठित “उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड” अभिप्रेत है;
- (पाँच) “व्यापार” से क्रय—विक्रय, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, या कृषि उत्पाद से सम्बंधित किया—कलाप अभिप्रेत है;
- (छ) “क्रेता” से वह व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म या कम्पनी या सहकारी समिति या सरकारी एजेंसी, निगम, व्यापारी, कमीशन एजेन्ट या आढ़तियां अभिप्रेत है, जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में कृषि उत्पाद को मण्डी क्षेत्र, जो इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित हो, से क्रय करता है या क्रय करवाने के लिए सहमत हो;

(सात) "उपविधि" से कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उपविधि अभिप्रेत है;

(आठ) "केन्द्रीय भण्डारागार निगम" से भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 58 वर्ष 1962) के अधीन स्थापित या स्थापित माना गया केन्द्रीय भण्डारागार निगम अभिप्रेत है;

(नौ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(दस) "कलक्टर" से उस जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल स्थित है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है, जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो;

(ग्यारह) "आयुक्त" से राज्य के ऐसे प्रशासनिक मंडल का आयुक्त अभिप्रेत है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल स्थित है;

(बारह) "कमीशन एजेन्ट, दलाल या आढ़तिया" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नगदी में हो या वस्तु में, अपने स्वामी की ओर से कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;

(तेरह) "समिति" से इस अधिनियम के अधीन गठित कृषि उत्पाद मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(चौदह) "संविदा कृषि कर्म" से एक व्यक्ति के द्वारा, जिसे 'संविदा कृषि उत्पादक' कहा जायेगा, दूसरे व्यक्ति, जिसे 'संविदा कृषि प्रायोजक' कहा जायेगा, के मध्य इस आशय के लिखित करार, कि उसका कृषि उत्पाद, जैसा कि करार में विशेष रूप से उल्लिखित होगा, क्रय किया जायेगा, के अधीन किये जाने वाले कृषि कार्य अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण:—(क) "संविदा कृषि उत्पादक" से वैयक्तिक कृषक अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नाम से पंजीकृत कृषकों के संगठन अभिप्रेत है;

(ख) "संविदा कृषि प्रायोजक" से किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी व्यक्तियों का समूह या निकाय, जो किसी भी नाम से तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत हो, अभिप्रेत है;

(पन्द्रह) "संविदा कृषि कर्म करार" से संविदा कृषि कर्म हेतु 'संविदा कृषि उत्पादक' एवं 'संविदा कृषि प्रायोजक' के मध्य किये गये लिखित करार अभिप्रेत है;

(सोलह) "सहकारी क्रय-विक्रय समिति" से उत्पादकों की ऐसी सहकारी समिति अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2003) के अधीन पंजीकृत हो, और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय को बढ़ाना हो;

(सत्रह) "नाम-निर्दिष्ट" से राज्य के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नामित/नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(अठारह) "निर्यात" से कृषि उत्पाद को भारत वर्ष के बाहर भेजना अभिप्रेत है;

(उन्नीस) "निर्यातक" से कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का निर्यात करे;

(बीस) "प्रथम आवक" से किसी ऐसे अधिसूचित कृषि उत्पादन के विक्रय, संग्रह या संव्यवहार के लिए मण्डी क्षेत्र में पहली बार आवक अभिप्रेत है, जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया हो, चाहे उसे उसी मण्डी क्षेत्र में किसी स्थल से या किसी अन्य मण्डी क्षेत्र से या राज्य या देश के बाहर से लाया गया हो;

(इक्कीस) "आयात" से कृषि उत्पाद को भारत के बाहर से मंगाना अभिप्रेत है;

(बाइस) "आयातक" से वह व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का आयात करे;

(तेइस) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(चौबीस) "अनुज्ञप्तिधारी" से किसी ऐसे व्यक्ति, संघ, फर्म, कम्पनी, सार्वजनिक उपक्रम और समिति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(पच्चीस) "स्थानीय निकाय" से उत्तराखण्ड में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(छबीस) "प्रबन्ध निदेशक" से राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध निदेशक के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिए बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो;

(सत्ताइस) "विपणन" से कृषि उत्पाद प्रवाह से जुड़े ऐसे सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जो फसल के उत्पादन विन्दु से प्रारम्भ होकर उसके अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने तक सम्पन्न होते हैं यथा— श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण चैनल और वे अन्य सभी कार्य जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं;

(अठाइस) "मण्डी क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन इस रूप में अधिसूचित हो या जो धारा 11 के अधीन यथा परिवर्तित हो;

(उन्तीस) "मण्डी परिव्यय" से दलाल, तोलक, मापक, पल्लेदार (उतारना—चढ़ाना और ढोना) सफाई, बीनना, सिलना, ढेर लगाना, भाड़ा, बोरे भरना, संग्रह करना, वर्गीकरण करना, परीक्षण, चट्टे लगाना, मोहर लगाना, परिवहन, प्रसंस्करण आदि पर आने वाला व्यय अभिप्रेत है साथ ही उसमें किसी भी नाम से कहे जाने वाला कोई ऐसा परिव्यय भी सम्मिलित है, जो व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उससे अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी से वसूल किया जा सकता हो या उसको देय हो;

स्पष्टीकरण— नमूने के क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में, मानक से अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक और मानक बाट या तौल में भिन्नता होने के कारण की गई कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायेगी;

(तीस) "मण्डी कृत्यकारी" से व्यापारी, दलाल, प्रसंस्करणकर्ता, संग्रहकर्ता एवं ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अधीन घोषित किये गये हों;

(इकतीस) "सदस्य" से समिति के सदस्य अभिप्रेत है;

(बत्तीस) "अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची "एक" में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;

(तैंतीस) "पल्लेदार" से ऐसे श्रमिक अभिप्रेत है, जो किसी कृषि उत्पादन का दडा बनाने, कृषि उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो;

(चौंतीस) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(पैंतीस) "प्रधान मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो धारा 11 के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(छत्तीस) "निजी मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र में अवस्थित मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल से इतर कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत इस हेतु अनुज्ञप्ति दी गई हो, द्वारा अधिसूचित कृषि उत्पादों के विपणन के लिए अवस्थापना सुविधाएं सृजित अथवा विकसित की गई हो;

(सैंतीस) "प्रसंस्करण" से प्रक्रियाओं की श्रृंखला की एक या अधिक प्रक्रिया जैसे चूर्ण करना, पीसना, दाने निकलना, भूसी अलग करना, आधा पकाना, चमकाना, बिनोला अलग करना, दबाना, संसाधित या अन्य शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कृषि उत्पादन या उसके उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाये;

(अड़तीस) "प्रसंस्करण कर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अधिसूचित कृषि उत्पादन का स्वयं के लिए अथवा भुगतान के विरुद्ध प्रसंस्करण करता है;

(उन्चालीस) "क्रय" से वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम दी धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी अभिप्रेत है;

(चालीस) "पंजीकरण" से इस अधिनियम के अंतर्गत कराये गये पंजीकरण अभिप्रेत है;

(इकचालिस) "विनियम" से इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;

(बयालिस) "फुटकर विक्रय" से ऐसे उत्पादन के ऐसे परिभाग का विक्रय अभिप्रेत है, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप विधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय सीमा से अधिक न हो;

(तैंतालिस) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(चवालिस) "विक्रय" से वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम दी गई धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी अभिप्रेत है;

(पैंतालिस) "अनुसूचित जाति" एवं "अनुसूचित जनजाति" से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) एवं (25) में कमशः समानुदेशित अर्थ अभिप्रेत है;

(छियालिस) "द्वितीय आवक" से ऐसा कृषि उत्पाद, जो किसी मण्डी क्षेत्र में उसके विक्रय के लिए पहली बार सौदा करने के पश्चात् अग्रेतर सौदे के लिए मण्डी क्षेत्र में लाया गया है, अभिप्रेत है;

(सैंतालिस) "विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कृषि उत्पाद को बेचता है या बेचने के लिए राजी होता है;

(अड़तालिस) "विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित या धारा 12 के अधीन यथा उपान्तरित कृषि उत्पाद अभिप्रेत है;

(उनपचास) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(पचास) "राज्य भण्डारागार निगम" से उत्तराखण्ड का राज्य भण्डारागार निगम अभिप्रेत है;

(इक्यावन) "उप मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(बावन) "व्यापारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों के दौरान किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद को खरीदता है या बेचता है। इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करता हो, लेकिन उसमें कृषक शामिल नहीं है;

(त्रेपन) "परिवहन" से व्यापार के सिलसिले में विपणन हेतु कृषि उत्पादों को ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक या अन्य वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अभिप्रेत है;

(चौवन) "परिवाहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का परिवहन करता है;

(पचपन) "मूल्य वर्धन" से प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग अथवा अन्य ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जाती है;

(छप्पन) "गाँव" से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) समानुदेशित अर्थ अभिप्रेत है;

(सतावन) "तोलने या मापने का यंत्र" से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 5 वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में यथा परिभाषित, तोलने का यंत्र या मापक यंत्र अभिप्रेत है;

(अठावन) "तोलक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदे के सम्बन्ध में तोलने का काम करता है;

(उनसठ) "बाट या माप" से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में यथा परिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप अभिप्रेत है;

(साठ) "थोक सौदा" से किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, थोक सौदों से उस उत्पादन के ऐसे परिणाम का क्रय और विक्रय अभिप्रेत है, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप विधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो;

(इकसठ) "जिला पंचायत" से उस जिले की जिला पंचायत अभिप्रेत है, जिसके क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल स्थापित है।

अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है और उसके पश्चात् अनुसूची तदनु रूप संशोधित हो जायेगी।

अध्याय दो

मण्डी की स्थापना

किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के आशय की घोषणा

4. यदि राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय को विनियमित किया जाए एवं उस प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित किया जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, ऐसे क्षेत्र को ऐसी तारीख से, जो अधिसूचित की जाय, इस अधिनियम के अधीन मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

मण्डी क्षेत्र की घोषणा तथा विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन का विकास एवं विनियमन

5. धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच, यदि कोई हो जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य सरकार अन्य अधिसूचना द्वारा धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित करेंगे और धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के विपणन को इस अधिनियम के अधीन ऐसी मण्डी क्षेत्र में विकसित एवं विनियमित किया जायेगा।

मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड, किसान / उपभोक्ता, किसान मण्डी और निजी मण्डी

6. (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :-
- (क) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित मण्डी यार्ड;
- (ख) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित एक या एकाधिक उप मण्डी यार्ड;
- (ग) मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित एक या एक से अधिक निजी मण्डी यार्ड/निजी मण्डियाँ;
- (घ) मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित एक या एक से अधिक किसान/उपभोक्ता मण्डियाँ।
- (2) राज्य सरकार यथासम्भव शीघ्र धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा, मण्डी क्षेत्र में स्थित किसी संरचना, अहाते, खुली जगह, मुहल्ले को मण्डी यार्ड या उप मण्डी यार्ड, जैसी भी स्थिति हो, घोषित कर सकती है।

किसी मण्डी को विस्थापित करने के लिए मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने, उन्हें समा-मेलित करने या विपाटित करने के आशय की सूचना

7. धारा 11 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उस क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करेगी, जिसे मण्डी क्षेत्र से अलग किया जाना है या जिसे मण्डी क्षेत्र में समा-मेलित कर एक बनाया जाना है या विद्यमान मण्डी क्षेत्र को विपाटित करने के बाद प्रत्येक मण्डी के जिस क्षेत्र को लेकर एक मण्डी बनाई जानी है, या विस्थापित की जाने वाली मण्डी का क्षेत्र, जैसी स्थिति हो, अधिसूचना में वह अवधि भी विनिर्दिष्ट की जायेगी, जिसके दौरान उठाई गई कोई आपत्ति यदि होगी तो उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। यह अवधि छः सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

धारा 6 के अधीन जारी अधिसूचना के बाद की प्रक्रिया

8. (1) धारा 10 के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित मण्डी क्षेत्र या अधिसूचना से प्रभावित इलाके या कोई निवासी, उक्त अधिसूचना में सम्बन्धित उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई अवधि के दौरान, उसमें दी गई किसी बात पर आपत्ति उठा सकता है या लिखित आपत्ति राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि बीत चुकी हो और निर्धारित अवधि के दौरान प्रस्तुत आपत्तियों पर, राज्य सरकार के विचार के बाद आदेश पारित किया गया हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है :-
- (क) किसी क्षेत्र को या उसके किसी हिस्से को मण्डी क्षेत्र में शामिल करना या उससे हटाना;
- (ख) समा-मेलित मण्डी क्षेत्र के लिए नई मण्डी समिति गठित करना; या
- (ग) विद्यमान मण्डी क्षेत्र को विभाजित करना और ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसी स्थिति हो, दो या अधिक मण्डी समितियाँ गठित करना; या
- (घ) मण्डी को विस्थापित करना; और
- (ङ) मण्डी में विनियमित की जाने वाली कृषि उपज की संशोधित सूची प्रकाशित करना।

सीमाओं में परिवर्तन का प्रभाव 9.

जहाँ धारा 11 के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा मण्डी क्षेत्र का कोई हिस्सा अलग किया गया हो और ऐसे क्षेत्र के किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र में शामिल किया गया हो तो राज्य सरकार सम्बन्धित मण्डी समिति से विचार-विमर्श करने के बाद यह निश्चित करने के लिए योजना तैयार करेगी कि एक मण्डी समिति में न्यस्त परिसम्पत्तियों और सम्पत्ति का कितना हिस्सा दूसरी मण्डी समिति में न्यस्त किया जायेगा और मण्डी समिति के उत्तरदायित्वों को किस विधि से दो मण्डी समितियों के बीच बाँटा जायेगा और ऐसी योजना गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन या विपाटन पर मण्डी समितियों के गठन आदि के सम्बन्ध में पारिणामिक आदेश जारी करने का राज्य सरकार का अधिकार

10. (1) धारा 12 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने के बाद राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे पारिणामिक आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जारी कर सकती है :-

(क) जहाँ धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी मण्डी क्षेत्र से कोई क्षेत्र अलग किया गया हो और ऐसे अलग हुए क्षेत्र को पृथक मण्डी क्षेत्र घोषित न किया गया हो या उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई क्षेत्र शामिल किया गया हो तो, ऐसे बहिर्वेशन और अन्तर्वेशन की तारीख से पहले ऐसे मण्डी क्षेत्र के लिए गठित मण्डी समिति, इस अधिनियम में शामिल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसी मण्डी समिति का पुनर्गठन होने तक, उक्त मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति के रूप में कार्य करती रहेगी;

(ख) विघटित मण्डियों का समामेलन होने के मामले में, प्रभारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—

(एक) एक अध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(दो) कृषकों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(तीन) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(चार) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी मण्डी समिति का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(पाँच) जिले में कार्यरत कृषि/सहकारिता विभाग का एक अधिकारी, जिसे कलक्टर की सिफारिश पर नामित किया जायेगा;

(छः) मण्डी समिति से लाईसेंस प्राप्त और मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रहे तौलकर्ताओं और पल्लेदारों का एक सदस्य, जिसे पल्लेदार और तौलकर्ताओं की पंजीकृत यूनियन द्वारा नामित किया जायेगा;

(सात) समिति मुख्यालय के स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि (नगरपालिका / महानगर पालिका, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो) का अध्यक्ष।

(ग) विपाटित मण्डी समितियों के मामले में, प्रत्येक के लिए एक अध्यक्ष, कृषकों के दस प्रतिनिधि और व्यापारियों के एक प्रतिनिधि को मिलाकर प्रभारी समिति गठित की जायेगी; बशर्ते कि —

(एक) विघटित मण्डी समिति के अध्यक्ष को, नई स्थापित मण्डी समिति, जिसका वह मतदाता है, का अध्यक्ष नामित किया जाएगा और दूसरी मण्डी समिति के लिए सरकार, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नामित करेगी, जिसके पास धारा 17 की उपधारा (3) में निर्धारित योग्यताएं हो;

(दो) विघटित मण्डी समिति के कृषकों के एक प्रतिनिधि को उस नई स्थापित मण्डी समिति, के सदस्य के रूप में, जो धारा 17 की उपधारा (3) में निर्धारित अर्हता रखते हो तथा उस मण्डी क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(तीन) विघटित मण्डी समिति के व्यापारियों के प्रतिनिधि को उस नई स्थापित मण्डी समिति, जिसका वह स्थायी निवासी हो, का सदस्य नामित किया जायेगा और दूसरी मण्डी समिति के लिए सरकार ऐसे अनुज्ञापिधारी प्रतिनिधि को नामित करेगी, जो धारा 17 की उपधारा (1) में निर्धारित अर्हताएं रखता हो;

(चार) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार (जो ऐसी सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा चुना जायेगा) द्वारा नामित किया जायेगा;

(पाँच) कलेक्टर की सिफारिश पर जिले में कार्यरत कृषि विभाग का एक अधिकारी;

(छः) तौलकर्ताओं/पल्लेदारों का एक सदस्य, पल्लेदारों और तौलकर्ताओं की पंजीकृत यूनियन द्वारा नामित किया जायेगा;

(सात) उन स्थानों पर, जहाँ मण्डी समिति स्थित है, स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि (नगरपालिका/महा-नगरपालिका /पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष);

(आठ) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रभारी समिति, प्रबन्ध निदेशक के नियंत्रण में रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी।

(2) धारा 16 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन गठित मण्डी समिति पर लागू होंगे, क्योंकि वे पहली बार स्थापित होने वाली मण्डी समिति पर लागू होते हैं।

प्रधान मण्डी स्थल उप मण्डी स्थल एवं निजी मण्डी स्थल की सीमाओं में परिवर्तन की घोषणा

11.

राज्य सरकार, जहाँ लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा –

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या विद्यमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को उत्सादित कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल घोषित कर सकती है;

(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सभी या कृषि उत्पाद में से थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किये जायेंगे।

मण्डी क्षेत्र में परिवर्तन और कृषि उत्पादों की सूची में उपान्तरण

12.

(1) राज्य सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से—

(क) धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में कोई कृषि उत्पाद सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई कृषि उत्पाद निकाल सकती है;

(ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है;

(ग) धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी मण्डी क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मण्डी क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है;

(घ) धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक मण्डी क्षेत्रों को एक मण्डी क्षेत्र में आमेलित कर सकती है;

(ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा।

- (2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल के दौरान मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं में, जिसके लिए वह स्थापित की गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाये तो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:-
- (क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;
- (ख) धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, परिष्कृत या नव निर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए एक नई मण्डी समिति संघटित की जायेगी;
- (ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, करारों अथवा किसी अन्य विषय या बात से सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति की सम्पूर्ण सम्पत्ति यथा आस्तियां तथा सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें उस भाग पर अधिकारिता रखने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उसको अन्तरित हो जायेगी।
- (3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन कोई मण्डी-क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाता, वहाँ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे :-
- (क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;
- (ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल, यदि कोई है, उस रूप में नहीं रह जायेंगे;
- (ग) मण्डी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति की अन्य आस्तियाँ तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेगे;

परन्तु यह कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित आस्तियों के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

मण्डी क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव 13.

- (1) किसी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित किये जाने की तारीख से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति, सम्बद्ध समिति द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के सिवाय, मण्डी क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय, क्रय या भण्डारण या तौलने या उस पर प्रसंस्करण करने के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न ही उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढि, प्रथा या करार में कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के उपबन्ध, स्वयं किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले पोसे या प्रसंस्कृत किये गये कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर, जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि उत्पाद को क्रय अथवा भण्डारित करता हो, लागू नहीं होंगे।

- (2) कोई व्यक्ति, सम्बद्ध समिति से उसके लिए प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के सिवाय, किसी प्रधान मण्डी स्थल या किसी उपमण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल में किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में व्यापारी, दलाल, आढ़तियां, गोदाम परिचालक, तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसी अन्य हैसियत में, जो विहित की जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा।
- (3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में, जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गई धनराशि के लिये प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जायें, लागू नहीं होंगे।

- नियमों या उपविधियों द्वारा यथाविहित के सिवाय कोई व्यापार, प्रभार अनुज्ञेय न होना
14. (1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा विहित व्यापार प्रभारों से भिन्न कोई व्यापारिक प्रभार न तो उदगृहीत करेगा, न प्रभारित करेगा, और न ही वसूल करेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रति दावे में कोई व्यापार प्रभार, जो इस प्रकार विहित न हो, अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (2) विक्रय संव्यवहार से पूर्व के सभी व्यापार प्रभारों का वहन विक्रेता द्वारा किया जायेगा और उसके पश्चात् उपगत प्रभारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।
- मण्डी स्थलों/ निजी मण्डी स्थलों, उप मण्डी स्थलों से सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों का मण्डी क्षेत्र शेष भाग में लागू होना
15. राज्य सरकार, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझती है, तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जायें, यह घोषणा कर सकती है कि धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 8 के उपबन्ध, प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थलों एवं निजी मण्डी स्थल के बाहर के मण्डी क्षेत्र के, अधिसूचना में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे और तदुपरान्त उक्त उपबन्ध, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से तदनुसार लागू होंगे, और प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल से सम्बद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी तारीख से, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे।

अध्याय तीन मण्डी समिति का गठन

- मण्डी समिति की स्थापना और उसका निगमन
16. (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए, मण्डी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति होगी, जिसकी अधिकारिकता सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र पर होगी।
- (2) ऐसी प्रत्येक मण्डी समिति शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली ऐसे नाम से एक निगमित निकाय होगी, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यह उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अधिरोपित ऐसे निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, अपने निगमित नाम से वाद लायेगी या उस पर वाद लाया जायेगा। यह, संविदा करने और कोई सम्पत्ति अर्जित करने, पट्टे पर देने, विक्रय करने या अन्यथा अन्तरित करने और उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह स्थापित की गई है, आवश्यक अन्य सभी बातें करने के लिए सक्षम होगी।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मण्डी समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी;

परन्तु यह कि समिति किसी स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण, अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक में सम्यक रूप से पारित संकल्प के अनुसार तथा बोर्ड के लिखित पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नहीं करेगी।

- मण्डी समिति का गठन
17. (1) धारा 16 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसी विहित की जाये :-
- (क) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि;
- (ख) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायतों का एक प्रतिनिधि;

- (ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त सहकारी विपणन समितियों का एक प्रतिनिधि;
- (घ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त आढ़तियों का एक प्रतिनिधि;
- (ङ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों का एक प्रतिनिधि;
- {(च) श्रेणी 'क' की विशिष्ट मण्डियों में मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के बारह प्रतिनिधि व अन्य मण्डियों में मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के ग्यारह प्रतिनिधि;}¹
- (छ) मण्डी क्षेत्र का एक व्यक्ति, जो उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेगा;
- (ज) दो सरकारी पदधारी, जिनमें से एक व्यापार कर विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा;
- (झ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।
- (2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से –
- (क) दो सदस्य किसी ऐसी ग्राम पंचायत के निवासी होंगे, जिसका मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार हो;
- (ख) पाँच सदस्य मण्डी क्षेत्र में कोई ऐसे उत्पादक विक्रेता होंगे, जो समिति से पिछले तीन वर्षों का प्रपत्र संख्या 6 में विक्रय वाउचर प्राप्त किये हो, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दूसरा सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होगा।
- (3) {प्रत्येक समिति में, उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और समिति के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो उपाध्यक्ष होंगे।}²
- (4) (क) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन समिति के संगठन के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्ष का, यदि राज्य सरकार द्वारा उससे पूर्वतर समाप्त न कर दिया जाये, होगा;
- ³{(क 1) समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- (क 2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की रिक्ति यथा स्थिति धारा 17 की उपधारा (1)(3) या धारा 18 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन भरी जायेगी।}
- (ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा,
- (ग) कोई अशासकीय सदस्य, यदि वह समिति का लाइसेन्सधारी न रह गया हो या समिति में यथास्थिति, अन्यथा व्यापारी या आढ़ती के रूप में कार्य न करता हो, अपने पद पर नहीं बना रहेगा।
- (5) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, नाम-निर्देशन के 21 दिन के भीतर, प्रबन्ध निदेशक के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।
- (6) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति के संगठन को प्रबन्ध निदेशक द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में विज्ञापित किया जायेगा।
- (7) राज्य सरकार, जहाँ वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञापित द्वारा समिति का कार्यकाल एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है, किन्तु ऐसी वृद्धि की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2016 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उत्तराखण्ड अधि० संख्या 14 वर्ष 2018 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

- (8) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसके ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उपसभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्दिष्ट होने के लिए किसी अर्हता का अभाव था, या उसके नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या इस आधार पर कि समिति में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई अन्य त्रुटि हुई, आपत्ति नहीं की जायेगा।
- कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग पत्र और नाम निर्देशन 18. (1) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस दिनांक को इसे प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाये।
- (2) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने त्याग-पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिए सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे।
- {***} 19. {***}¹

1. उत्तराखण्ड अधि० संख्या 14 वर्ष 2018 की धारा 3 द्वारा निरसित।

- समिति का निलम्बन 20. जहाँ प्रबन्ध निदेशक का यह समाधान हो जाये कि :-
- (क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या उसने किसी अन्य अधिनियमिति के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अधिक्रमण किया हो या दुरुपयोग किया हो,
- (ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, और
- (ग) ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है।
- निलम्बन के परिणाम 21. (1) जहाँ कोई समिति धारा 20 के अधीन निलम्बित कर दी जाये, वहाँ उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने निलम्बन अवधि तक अपना-अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है।
- (2) जहाँ परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हो, वहाँ प्रबन्ध निदेशक, समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकता है।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, राज्य सरकार को धारा 20 के अधीन निलम्बन के विषय में तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरीत निदेश या आदेश प्रबन्ध निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो, निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

- समिति का विघटन 22. यदि किसी समय राज्य सरकार का, प्रबन्ध निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाये कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अधिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए, आदेश द्वारा, समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।
- स्पष्टीकरण— 1— 'जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम' का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता, उस कर्तव्य का पालन में रजामन्दी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए।
- स्पष्टीकरण 2— कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषय वस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगठित है।
- विघटन के परिणाम 23. समिति के विघटन पर—
- (1) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं।
 - (2) कलक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 17 के अधीन नई समिति का गठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।
- प्रथम समिति या नयी समिति का संगठन 24. (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के या धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नयी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा 17 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपर्युक्त हो।
- (2) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (1) के अधीन उसके संगठन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य सरकार लोक हित में उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा आगे बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया अथवा आगे बढ़ाया गया कार्यकाल धारा 17 के अधीन समिति के संगठन के दिनांक को समाप्त हो जाये।
 - (3) प्रथम समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ निश्चित की जाये, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी।
- आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना 25. यदि किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाती है तो उसे उसी वर्ग के व्यक्ति से राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा, जिस वर्ग का वह व्यक्ति रहा हो, और इस प्रकार नाम—निर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति, उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो :
- परन्तु यह कि छः माह से अनधिक अवधि की कोई रिक्ति, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश दिया जाये, तो भरी नहीं जायेगा।
- समिति के कृत्य और कर्तव्य 26. (1) समिति, मण्डी क्षेत्र में इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को प्रभावी करेगी, उसमें अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय तथा विक्रय के लिए ऐसी सुविधाओं की, जो बोर्ड द्वारा समय—समय पर समिति को दिए गये किसी निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएँ अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जाएँ, व्यवस्था करेगी और ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो उस मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय

और नीलामी को विनियमित करने के लिए आवश्यक हो, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, जिनका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति—

(एक) अधिसूचित कृषि उत्पादों के विक्रय और क्रय में लगे उत्पादकों और व्यक्तियों के बीच निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेगी;

(दो) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थलों में विक्रेताओं द्वारा बिक्री किये गये अधिसूचित कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में विक्रेताओं को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी;

(तीन) अधिसूचित कृषि उत्पादों का वर्गीकरण या मानकीकरण करेगी,

(चार) मण्डी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन उपकरणों की जाँच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवर्त) के उपबन्ध के उल्लंघन की रिपोर्ट सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी;

(पाँच) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी, जो अधिसूचित कृषि उत्पादों के विक्रय, क्रय में लगे उत्पादकों और अन्य व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि उत्पादों के, उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी, जहाँ उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहाँ से उसका सम्बद्ध मण्डी क्षेत्र में आयात करना मित्तव्ययिता पूर्ण हो;

(छः) व्यापारिक परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय की पारम्परिक प्रथाओं को स्थिर और विनियमित करेगी;

(सात) प्रधान मण्डी स्थल और उपमण्डी स्थलों में उत्पादकों के लिये, वहाँ पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों, दुकानों, आश्रय स्थानों, अड़्डों, संग्रह-स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, जो इस निमित्त विहित की जाएं;

(आठ) मण्डी क्षेत्र में हाट और पैठ एवं संग्रह केन्द्रों के समुचित विकास और उनमें क्रय और विक्रय के सौदों में लगे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगी;

(नौ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को संवर्धित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक पद्धति को स्थापित कर सकेगी, अवसंरचना का सृजन कर सकेगी और इस हेतु आवश्यक अन्य क्रिया कलापों और कार्यों का जिम्मा ले सकेगी;

(दस) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़को, मार्गों, जीप चलने योग्य सड़कों, रज्जुमार्गों, खच्चर पथ, पुलियों और जल कुण्डों का निर्माण और हैण्ड पम्पों का निर्माण और उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण की व्यवस्था करेगी;

(ग्यारह) कृषि उपज में मूल्य वर्धन के लिए क्रिया कलापों सहित कृषि प्रसंस्करण का उन्नयन करेगी तथा इस हेतु जिम्मा लेगी;

(बारह) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थलों में अनुज्ञप्ति धारियों में आपस में या अनुज्ञप्ति धारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हैं, के सम्बन्ध में, सभी विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी;

(तेरह) यथाविहित रूप में लेखा तैयार करेगी और उनकी लेखापरीक्षा करायेगी;

- (चौदह) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाए जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा राज्य सरकार, बोर्ड अथवा राज्य के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से, जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है, (जिसे इसे इसके पश्चात् मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था कहा गया है) से लिए गये ऋण पर या उनके द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के भुगतान की या ऐसे ऋण के प्रति उसके प्रतिदाय की व्यवस्था की जायेगी और उक्त बजट बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी;
- (पन्द्रह) ऐसे निर्माण कार्यो, जो प्रधान मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थलों में करने का उसका प्रस्ताव हो, की योजनायें और प्राक्कलन तैयार करायेगी और उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) के अधीन भूमि अर्जन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी;
- (सोलह) अपने मामलों से सम्बन्धित अथवा इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कोई वाद, कार्यवाही या कार्रवाई चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी;
- (सत्रह) अपनी मुहर, लेखा पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके रख-रखाव की व्यवस्था करेगी;
- (अठारह) प्रधान मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित व विनियमित करेगी;
- (उन्नीस) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी, जो बोर्ड या प्रबंध निदेशक द्वारा विहित किये जायें;
- (बीस) अधिसूचित कृषि उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिये सभी सम्भव कार्य करेगी;
- (इक्कीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे क्रय और विक्रय के निवारण के लिए उपाय करेगी;
- (बाईस) मण्डी समिति में निहित प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थलों में व्यक्तियों और वाहनों का प्रवेश और यातायात विनियमित करेगी;
- (तेईस) उन व्यक्तियों पर वाद चलायेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और उपविधियों का उल्लंघन करेगे और ऐसे अपराधों का शमन करेगी;
- (चौबीस) यदि क्रेता/विक्रेता ने, जैसी भी स्थिति हो, मजदूर और हमाल या पल्लेदार का प्रभार नहीं दिया है, तो उसे वसूल करेगी और तोलक, हमाल/पल्लेदारों को वितरित करेगी;
- (पच्चीस) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से :-
- (क) कृषकों को कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए किराये पर भण्डारण सुविधा प्रदान करेगी;
- (ख) कृषि उत्पादों की पैकेजिंग सुविधा, पैकेजिंग प्रभार लेकर, प्रदान करेगी।
- (छब्बीस) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथाविहित मैन्युवल तैयार करेगी तथा जनता के निरीक्षण के लिए उन्हें कार्यालय में रखेगी तथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक मैन्युवलों को अद्यतन करेगी; और
- (सत्ताईस) समय समय पर कृषि उत्पादों की यथाविहित दरों का, जो मण्डी क्षेत्र में

विक्रय के लिए लाये गये हैं, प्रकाशन एवं परिचालन करेगी।

समिति की शक्तियाँ

27. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी; अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएँ, अनुज्ञप्ति जारी या नवीकृत करना अथवा उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, किसी ऐसे अनुज्ञप्ति को जारी या नवीकृत करने से इन्कार करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना;

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व, समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगी;

(ग) (एक) अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करने के लिए ऐसे फीस उद्ग्रहीत करना, जो विहित किए जायें; और

(दो) मण्डी फीस, जो मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विक्रय के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादों की कीमत पर एक प्रतिशत से कम और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और विकास उपकर, जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन की कीमत के कम से कम आधा प्रतिशत और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, की दर पर, लगाना और उद्ग्रहीत करना। ऐसी फीस या विकास उपकर निम्नलिखित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा :-

(अ) यदि उत्पाद आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाय तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी फीस और विकास उपकर वसूल कर सकता है और क्रेता, समिति को उसका भुगतान करने के लिए दायी होगी;

(आ) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पाद क्रय करे, तो वह व्यापारी समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(इ) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पाद क्रय करे, तो उत्पाद बेचने वाला व्यापारी, उस क्रेता से मण्डी फीस और विकास उपकर उद्ग्रहीत कर सकेगा और वह समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

परन्तु यह कि यदि केवल क्रेता ही अनुज्ञप्तिधारी हो तो वह मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(ई) ऐसे उत्पाद के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर को भुगतान करने के लिए दायी होगा;

परन्तु यह कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी फीस या विकास उपकर अधिरोपित नहीं किया जायेगा और न संग्रहित किया जायेगा, यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए किया जाय;

परन्तु यह और कि उत्पाद का विक्रेता, विकास उपकर का भुगतान करने के दायित्व से इस आधार पर, कि उसने विकास उपकर क्रेता से वसूल नहीं किया है, मुक्त न होगा।

{(तीन)} ऐसे कृषि उत्पाद को, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य राज्य से अथवा देश के बाहर से प्रथम बार विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संयवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में आता है, "प्रथम आवक" के रूप में रजिस्टर्ड किया जायेगा और ऐसे उत्पाद पर मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान किया

जायेगा;}}¹

{(चार)} यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद राज्य के भीतर के किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करके राज्य के ही किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र से विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लाया जाता है तो ऐसी आवक "द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस एवं विकास उपकर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।}}²

{(पांच)} यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, किसी अन्य राज्य से विक्रय, भण्डारण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर उद्ग्रहीत होगा :

परन्तु यह कि अन्य राज्यों से प्रक्रिया या विनिर्माण के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक "अन्य द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगी किन्तु देय विकास उपकर उद्ग्रहणीय होगा;}}³

- (घ) उपविधियों में मण्डी फीस के भुगतान के लिए विहित अवधि की ठीक बाद की तारीख से मण्डी फीस की देय (असंदत्त) धनराशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूल करना, जिसकी गणना उपविधियों में विहित रीति से की जायेगी;
- (ङ) इस अधिनियम के सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति निधि का संचालन और उपयोग करना;
- (च) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या बोर्ड से या प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना;
- (छ) बोर्ड को ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों पर, जिन पर बोर्ड और समिति के मध्य परस्पर सहमति हुई हो, उधार देना;
- (ज) प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना;
- (झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जाएं;
- (ञ) यदि कोई व्यक्ति मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है, तो मण्डी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक उक्त अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाने के लिए सक्षम होगा तथा अतिक्रमण हटाने में आया व्यय सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से भू-राजस्व के वकाये की भाँति वसूल किया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 4 वर्ष 2013 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण— खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये या ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में यह अवधारणा की जायेगी कि उसने ऐसे कृषि उत्पाद को ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा है

और ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पाद के, जिसके बेचे जाने की अवधारणा की जायेगी, कीमत को ऐसी युक्तियुक्त कीमत समझा जायेगा, जैसा विहित रीति से अभिनिश्चित किया जाये।

- अपील
28. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, समिति द्वारा इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन पारित किसी आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर, प्रबन्ध निदेशक को ऐसी रीति से, जो विहित की जाएँ, अपील कर सकेगा और प्रबन्ध निदेशक, अपीलकर्ता और समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसका विनिश्चय करेगा।
- (2) प्रबन्ध निदेशक 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, समुचित कारणवश समय से अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।
- (3) प्रबंध निदेशक, अपील की सुनवाई, ऐसी प्रक्रिया से करने के बाद, जो विहित की जाये, सुनवाई करेगा और उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या समाप्त कर सकेगा।
- (4) प्रबंध निदेशक, अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पर उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आस्थगन और मण्डी फीस या अधिरोपित जुर्माने की वसूली, अपीलार्थी से पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त कर, स्थगित कर सकेगा।
- (5) प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपील में पारित आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- वार्षिक विवरणी एवं फीस का अधिरोपण
29. (1) प्रत्येक थोक व्यापारी, आढ़तियाँ और अनुज्ञप्ति धारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 31 मार्च से पहले उसके द्वारा या उसके माध्यम से, पूर्व वित्तीय वर्ष में विक्रय या कय किये गये अधिसूचित कृषि उत्पादों की विवरणी, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से भेजेगा, जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट हो।
- (2) यदि समिति की राय में, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत जानकारी सही नहीं है या थोक व्यापारी अथवा आढ़तियों द्वारा मण्डी फीस की देय राशि से कम राशि जमा की गयी है तो, वह ऐसे थोक व्यापारी या आढ़तिया को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मण्डी फीस के अधिरोपण की कार्यवाही कर सकती है।
- समिति की ओर से संविदायें
30. (1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा, विहित रीति से, निष्पादित की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा, उस पर आबद्धकर न होगी।
- (3) समिति का प्रत्येक आदेश, अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या उसकी अनुपस्थिति अथवा असमर्थ होने पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से और जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से समिति की अधिकारिक मुहर लगाकर, प्रमाणित किया जायेगा।
- मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग
31. (1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी, जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिए गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी है, जमा की जायेंगी।
- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से चुकाये जायेंगे और अधिशेष यदि कोई है, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी, जो विहित की जाये।

(3) धारा 27 के खण्ड (पाँच) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिए कर सकती है—

(एक) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा में हुए व्यय;

(दो) समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश भत्ते, उपदान, अनुकम्पा भत्ता, चिकित्सा—सहायता और भविष्य निधि में अंशदान भी है;

(तीन) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके आनुषंगिक व्यय;

(चार) धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (चौदह) में निर्दिष्ट ऋणों तथा अग्रिमों की मूलधन राशि या उन पर ब्याज;

(पांच) समिति के कब्जे में किसी भूमि और भवन का किराया और उसके कर;

(छः) समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता;

(सात) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्जित भूमि या भवन की लागत;

(आठ) मण्डी स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार की लागत;

(नौ) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल सुविधाओं और सुख साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर, जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, व्यय;

(दस) समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन;

(ग्यारह) मण्डी क्षेत्र में कृषकों के लिए श्रेणीकरण, मानकीकरण एवं गुण—प्रमाणन सेवाओं पर व्यय;

(बारह) कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं विपणन से सम्बन्धित शोध पर व्यय; एवं

(तेरह) ऐसे अन्य व्यय, जो बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाय;

परन्तु यह कि मण्डी समिति मण्डी फीस से प्राप्त वार्षिक आय का 02

(दो) प्रतिशत अनिवार्यतः उपरोक्त उपधारा (3) के खण्ड (बारह) के उपबन्धों के अनुसार, व्यय करेगी।

(4) प्रत्येक समिति, वित्तीय वर्ष की शुद्ध आय (मण्डी फीस + अनुज्ञप्ति फीस) में से धनराशि, बोर्ड को अंशदान के रूप में, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय—समय पर घोषित करे, भुगतान करेगी।

(5) प्रत्येक समिति, विकास उपकर के रूप में उद्ग्रहीत की गयी समस्त धनराशि को, प्रत्येक माह बोर्ड को भुगतान करेगी, जिसे धारा 62 के अधीन यथाविहित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायेगा।

ब्याज का प्रतिसंदाय;

- (दो) ऐसे ऋण, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत के अधीन दी गई ऐसी राशि का यदि कोई है, उस सरकार को मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;
- (तीन) राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति उधार की मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;
- (चार) ऐसे उधार की, जिसकी राज्य सरकार द्वारा गारन्टी नहीं दी गई है, मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;
- (पाँच) शेष धनराशि का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन समिति को देय फीस की कटौती करने के लिए अथवा समिति के किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय के लिए, जैसा समिति उपयुक्त समझे अथवा जैसा प्रबन्ध निदेशक निदेश दें, किया जायेगा।

समिति को देय धनराशियों की माल-गुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति

33. (1) यदि विहित अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
- (2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो उसे देय हो, यदि कलैक्टर प्रमाणित कर दें कि वह वसूल होने योग्य नहीं है;
- परन्तु यह कि रूपये पांच हजार से अधिक कोई भी धनराशि, प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टे खाते में नहीं डाली जायेगी।

अधिभार

34. (1) समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी व सेवक, समिति की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग होने पर अधिभार के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए, उसकी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुआ हो।
- (2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग हुई, धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जायें।
- (3) किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए, जिसे उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से वसूल किया जा सकता है, किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

अध्याय-चार समिति के अधिकारी और सेवक

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

35. (1) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों और उप-विधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जाएँ या समिति द्वारा उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।
- (2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

मण्डी समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें

36. (1) प्रबन्ध निदेशक, विहित रीति से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो कि मण्डी समिति के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो :

परन्तु यह कि किसी भी पद का सृजन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक समिति के एक सचिव एवं ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जिन्हें प्रबन्ध निदेशक समिति के कृत्यों का दक्षता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जो बोर्ड द्वारा ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर, जैसा बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों में उपबन्धित किया जाये, नियुक्त किये जायेंगे।

केन्द्रीयत सेवा का गठन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

37. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड सभी समितियों के लिए सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग गठित करेगा, जिन्हें वह धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त करने के लिए ठीक समझे।

सचिव के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य

38. (1) समिति का सचिव, उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे कृत्यों का सम्पादन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जायें या जो उप-विधियों में उपबन्धित किये जायें या जैसा प्रबन्ध निदेशक लिखित आदेश द्वारा निदेश दें :

परन्तु यह कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जायें, तब प्रबन्ध निदेशक सचिवों में से एक सचिव को उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा और उसमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सचिव—

(क) निम्नलिखित पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा —

(एक) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समिति के सभी अधिकारियों और सेवक; तथा

(दो) समिति के सभी क्रिया कलाप;

(ख) समिति के किसी कर्मचारी की उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्त प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए देगा और यदि इसके लिए सशक्त किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड, प्रबन्ध निदेशक या समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये सभी आदेश का समुचित रूप से पालन किया जाये;

(घ) उचित रख रखाव हेतु यह सुनिश्चित करेगा कि —

(एक) समिति के लिए और उसकी ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखे;

(दो) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन विनिश्चय के लिए आये हुये विवादों के अभिलेख;

(तीन) उसके द्वारा निपटाये गये विवादों का अभिलेख, ऐसे प्ररूप में हो, जो विहित किया जाये; और

(चार) इस अधिनियम के अधीन सभी अनुज्ञप्तियां उसके हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी;

(ड) मण्डी समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो तो बुलायेगा और उसकी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रखेगा;

(च) मण्डी समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा और विचार विमर्श में भाग लेगा, परन्तु कोई संकल्प या प्रस्ताव नहीं लायेगा या किसी ऐसी बैठक में मत नहीं डालेगा;

(छ) बजट प्रस्ताव तैयार करेगा;

(ज) समय-समय पर मण्डी समिति जैसी अपेक्षा करे, वैसे विवरणी, कथन, आँकड़े, प्राक्कलन व रिपोर्ट मण्डी समिति को देगा, जिसमें निम्न रिपोर्टें भी हैं :-

- (एक) किसी कर्मचारी पर आरोपित अर्थदंड या जुर्माना या किसी कर्मचारी और मण्डी कृत्यकारी या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही;
- (दो) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा उपविधि के प्राविधानों के उल्लंघन की सूचना;
- (झ) समिति के समक्ष ऐसे दस्तावेजों, किताबों, पंजिकाओं या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा, जो आवश्यक हो;
- (ञ) मण्डी समिति द्वारा उद्ग्रहणीय या उसको देय फीस और अन्य धनराशि का संग्रह करेगा;
- (ट) मण्डी समिति द्वारा विधिपूर्वक देय धन का नियमानुसार वितरण एवं भुगतान करेगा;
- (ठ) समिति की ओर से वाद दायर करेगा, समिति के विरुद्ध दायरवादों का प्रतिवाद करेगा, अभियोजन चलायेगा तथा समिति का ऐसी समस्त कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करेगा;
- (ड) समिति के सभी अधिकारियों, सेवकों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखेगा;
- (ढ) समिति की सम्पत्ति व उसके कोष में यदि चोरी, कपट, गबन, हो तो उसकी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र प्रबन्ध निदेशक को देगा।

- समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के नियोजन की निर्बन्धन और शर्तें 39. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 36 के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की निर्बन्धन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना, हटाया जाना तथा पदावनित किया जाना भी है, से सम्बन्धित विषय, ऐसे विनियमों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से धारा 68 के क्रम में बोर्ड बनाये, शासित होंगे।
- इस अधिनियम के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का संरक्षण 40. बोर्ड और समिति का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में "लोक सेवक" समझा जायेगा।

अध्याय- पाँच

मण्डी समिति एवं विशेष मण्डी का वर्गीकरण

- मण्डी का वर्गीकरण 41. धारा 6 के अधीन गठित मण्डी समिति को राज्य सरकार यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।
- विशेष मण्डी और विशेष वस्तु मण्डी 42. (1) राज्य सरकार ऐसे पहलुओं यथा-उत्पादन (टर्न ओवर), बड़ा क्षेत्र और विद्यमान मण्डी में मौजूदा आधारीक संरचना के अलावा वस्तु विशेष के लिए अपेक्षित विशेष आधारीक संरचना पर विचार करने के बाद अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को विशेष मण्डी या विशेष वस्तु मण्डी घोषित कर सकती है।
- (2) राज्य सरकार, इस नियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, ऐसी मण्डियों में, जो उपधारा (1) के अधीन विशेष मण्डी के रूप में अधिसूचित की गई हैं, अधिसूचना द्वारा पृथक मण्डी समिति स्थापित कर सकती है।
- (3) अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और उसके सम्बन्ध में बनाये गये सभी उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष मण्डी के लिए स्थापित मण्डी समिति पर भी लागू होंगे।
- विशेष मण्डियों के लिए मण्डी समिति का गठन 43. (1) विशेष मण्डी के लिए गठित प्रत्येक मण्डी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- (क) कृषक (राज्य सरकार द्वारा मण्डी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने तथा - पाँच

कृषि कार्य करने वाले किसानों में से) नामित किये जायेंगे;

- (ख) व्यापारी (राज्य सरकार द्वारा राज्य की किसी मण्डी समिति के ट्रेडिंग लाईसेंस धारक व्यापारियों में से) नामित किये जायेंगे। इस प्रकार नामित किये गये व्यापारियों विशेष मण्डी की मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करेंगे; - दो
- (ग) जिस क्षेत्र में विशेष मण्डी स्थित है, वहाँ के स्थानीय निकाय के संबंधित मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी; - एक
- (घ) उस जिले का कलक्टर या उसका नामिती, जिसमें विशेष मण्डी स्थापित है - एक
- (ङ) मुख्य नगर योजनाकार या ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी - एक
- (च) सम्बंधित जिले का सहायक निबंधक, सहकारी समितियां - एक
- (छ) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के द्वारा नामित अधिकारी; - एक
- (ज) कार्यपालक सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा) कार्यपालक सदस्य मण्डी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा; - एक
- (झ) भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार या उसका प्रतिनिधि। - एक

(2) मण्डी समिति की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार होगी।

विशेष मण्डी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

44. विशेष मण्डी की मण्डी समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिए नामित किया जायेगा। सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

विशेष मण्डी के लिए कार्यपालिका समिति

45. (1) विशेष मण्डी की मण्डी समिति की कार्यपालिका में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
- (क) विशेष मण्डी की मण्डी समिति के ट्रेडिंग लाईसेंस धारक व्यापारियों का एक प्रतिनिधि;
- (ख) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि;
- (ग) सम्बंधित जिले का सहायक निबंधक सहकारी समितियां;
- (घ) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के द्वारा नामित अधिकारी
- (ङ) मण्डी समिति का कार्यपालक सदस्य, जो कार्यपालिका समिति के सदस्य—सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (2) आपात स्थिति में कार्यपालिका समिति उन मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, जिसके लिए मण्डी समिति का अनुमोदन अपेक्षित हो, तथापि ऐसे निर्णयों पर निर्णय लिये जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर मण्डी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर या मण्डी समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में, ऐसे निर्णय अकृत और शून्य समझे जायेंगे।
- (3) कार्यपालिका समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाई जायेंगी, लेकिन दो महीने में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

मुख्य मंडी की मंडी
समिति के मुख्य
कार्यपालक के कार्य
और शक्तियाँ

46. मण्डी समिति का कार्यपालक सदस्य, विशेष मण्डी की मण्डी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निम्नलिखित कार्य हैं :-
- (क) कार्यपालिका प्रशासन के विषय में और मण्डी समिति के लेखा और अभिलेखों से सम्बन्धित विषयों में और कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए मण्डी समिति के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रण रखना;
 - (ख) यथानिर्धारित निदेशों और मण्डी समिति द्वारा मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;
 - (ग) कार्य की स्वीकृत पदों पर मण्डी समिति निधि से खर्च करना;
 - (घ) आपातकाल की दशा में किसी कार्य के निष्पादन या रोक या किसी कार्य के किये जाने पर, जिसमें मण्डी समिति की स्वीकृति की आवश्यकता हो, निर्देश देना;
 - (ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों तथा उनकी उपविधियों के उल्लंघन पर मुकदमा चलाना;
 - (च) मण्डी कार्यकर्ताओं का अनुज्ञप्ति जारी करना;
 - (छ) मण्डी समितियों का वार्षिक बजट तैयार करना;
 - (ज) मण्डी समिति की बैठकें बुलाने का प्रबन्ध करना और ऐसी बैठकों की कार्रवाईयों का अभिलेख रखना;
 - (झ) मण्डी समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट मण्डी समिति के अध्यक्ष को भेजना;
 - (ण) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित मण्डी समिति या मण्डी समिति के सदस्यों द्वारा किये गये ऐसे कार्यों की रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक को देना, जो इस अधिनियम के प्राविधानों और नियमों तथा इसकी उपविधियों के विपरीत हो;
 - (ट) मण्डी समिति के कार्यों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यथावश्यक कदम उठाना।

अध्याय-छः

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन, कृत्य और उनकी शक्तियाँ

बोर्ड की स्थापना

47. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के नाम से एक बोर्ड, जिसका मुख्यालय रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) में होगा, गठित करेगी।
- (2) बोर्ड उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वाद लायेगा या उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने तथा संविदाएँ करेगा।
- (3) बोर्ड सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझा जायेगा।

बोर्ड का गठन

48. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार की जायेगी-

- (क) अध्यक्ष – कृषि मंत्री, राज्य सरकार किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी;
- {(कक) राज्य सरकार विपणन बोर्ड हेतु नामित सदस्यों में से, एक को बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष तथा दो को बोर्ड में उपाध्यक्ष नामित कर सकेगी।}¹
- (ख) {कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में नामित उत्पादिक सदस्यों में से अधिकतम सात व्यक्तियों एवं नामित व्यापारिक सदस्यों में से एक एवं नामित आढतियां सदस्यों में से एक व्यक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम पांच प्रतिनिधि जो निम्न क्षेत्रों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (एक) निजी मण्डी से एक प्रतिनिधि,
- (दो) कृषि बीमा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि,
- (तीन) निर्यातकों से एक प्रतिनिधि,
- (चार) विशेषीकृत कृषि व्यवसाय प्रबन्धन से एक विशेषज्ञ;
- {पाँच} संविदा कृषि प्रायोजकों से एक प्रतिनिधि।}²
- (ग) पदेन सदस्य –
- (एक) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी,
- (दो) सचिव, कृषि,
- (तीन) सचिव, वित्त,
- (चार) सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
- {पाँच} सचिव, उद्यान,
- {छ} सचिव, पशुपालन
- {सात} सचिव, सहकारिता
- {आठ} भारत सरकार, कृषि विपणन सलाहकार
- {नौ} उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक, जो बोर्ड का पदेन सचिव होगा,
- {दस} निदेशक, कृषि,
- {ग्यारह} निदेशक, उद्यान,
- {बारह} रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
- {घ} कुल सदस्यों के एक तिहाई से बैठक की गणपूर्ति होगी।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता

49.

कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

- (क) ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;
- (ख) अननुमोचित दिवालिया है;

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2016 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2016 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया

गया हो;

(घ) बोर्ड अथवा मण्डी समिति के अधीन लाभ का पद धारण करता हो;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, धन सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; अथवा

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो बोर्ड के साथ/द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि

50. (1) उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन रहते हुये, बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जो उसके पदेन सदस्य नहीं है, दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।
- (2) बोर्ड के सदस्य के रूप में सदस्य, मण्डी समितियों के नामित सदस्य न रह जाने पर, सदस्यता खो देगा।
- (3) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जो पदेन सदस्य न रह गया हो, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

अध्यक्ष तथा सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

51. (1) अध्यक्ष तथा ऐसे सदस्यों को, जो पदेन सदस्य न हो, बोर्ड की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये।
- (2) यदि अध्यक्ष अथवा यथापूर्वोक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कृत्यों के निर्वहन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो अथवा उन परिस्थितियों में, जिनमें उसका पद रिक्त होना अर्न्तग्रस्त न हो, अथवा ऐसे अवकाश पर अन्यथा अनुपस्थित हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति

52. (1) बोर्ड अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन, जो बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से बनाये गये विनियमों में उपबन्धित की जाय, ऐसे अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति विभिन्न वेतनमानों में कर सकेगा।
- (2) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, बोर्ड या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकेगा।

प्रबंध निदेशक का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण

53. बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन रखते हुये, बोर्ड के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर साधारण नियंत्रण तथा निर्देशन, प्रबंध निदेशक में निहित होगा।

बोर्ड के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

54. बोर्ड की सभी कार्यवाहियां, अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेगी और बोर्ड द्वारा जारी किये गये सभी आदेश और अन्य लिखतें प्रबंध निदेशक या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

हित के कारण बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनर्हता

55. (1) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य –

- (क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 49 के खंड (ड) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो; या
- (ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में यथापूर्वोक्त ऐसा अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, इस धारा में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में बोर्ड की किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।
- (2) यदि बोर्ड के किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो कोई हित हो, तो वह बोर्ड की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा, जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाये।
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात बोर्ड के किसी सदस्य को, उक्त उपखण्डों में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निवारित नहीं करेगी।
56. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवधिमान्य नहीं होगी कि—
- (क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई त्रुटि है, या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता है, या
- (ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता है।
- नीति के प्रश्नों पर निदेश 57. (1) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बोर्ड, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्ग दर्शित होगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।
- (2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति 57क राज्य सरकार अधिनियम में उपबंधित कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर अन्य कार्यों के निर्वहन हेतु अधिसूचना द्वारा मण्डी बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी।
- प्रदेश की मण्डी समितियां रूपये 3.00 लाख तक के कार्य स्थानीय निकाय, विधायक/सांसद निधि एवं जिला पंचायतों की तरह मस्ट्रोल के आधार पर स्वयं करा सकती है।¹
- वार्षिक प्रतिवेदन, आंकड़े विवरणियां तथा अन्य सूचनाएं 58. (1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे प्रतिवेदन, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का विवरण दिया जायेगा, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और एक प्रतिवेदन में ऐसे कार्य कलापों का भी, यदि कोई हो, विवरण दिया जायेगा, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा किये जाने की सम्भावना है और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त उसे यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
- (2) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियों और बोर्ड के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा बोर्ड के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे विशिष्टियाँ, जिसकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

संविदा आदि का निष्पादन तथा	59.	बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा
----------------------------	-----	--

रजिस्ट्रीकरण		ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाये, निष्पादित किया जायेगा।
बोर्ड की निधि	60.	<p>(1) बोर्ड की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जाएगी और जिसमें बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त, धारा 61 के अधीन उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि में जमा की जाने के लिए अपेक्षित धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि जमा की जाएगी।</p> <p>(2) विशेष रूप से और विनियोग और निस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जाएगा, अर्थात्—</p> <p>(क) बोर्ड द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता, उपदान, अन्य भत्तों, ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्त पर हों, पेंशन और अन्य अंशदान का भुगतान;</p> <p>(ख) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान;</p>
		<p>(ग) बोर्ड के स्थापना से सम्बन्धित अन्य प्रयोजन और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए;</p> <p>(घ) बोर्ड के विधिक खर्चों का भुगतान।</p>
उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि	61.	<p>(1) बोर्ड के लिये "उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि" के नाम से ज्ञात एक पृथक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेगी; अर्थात् :-</p> <p>(क) धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन समितियों से प्राप्त अंशदान, उसके उतने प्रतिशत को छोड़कर, जितने राज्य सरकार बोर्ड की निधि में जमा करने के लिये निदेश दें;</p> <p>(ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार या बोर्ड निदेश दें।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, बोर्ड द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा; अर्थात् :-</p> <p>(एक) मण्डी क्षेत्र में कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को सुविधायें;</p> <p>(दो) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पैठ का विकास, संग्रह केन्द्र एवं रोप-वे का निर्माण और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण;</p> <p>(तीन) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मण्डी की गलियों, रज्जुमार्ग, हैण्ड पम्पों की स्थापना तथा तालाबों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत;</p> <p>(चार) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान, वर्गीकरण और मानकीकरण;</p> <p>(पांच) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय की स्थिति में सामान्य सुधार से सम्बन्धित विषय;</p> <p>(छ:) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्प विकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता;</p> <p>(सात) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियन्त्रण;</p> <p>(आठ) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थल योजना और निर्माण प्राक्कलन तैयार करने में और महायोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता;</p> <p>(नौ) धारा 26 और 27 में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय, जो पूर्वोक्त खण्डों के अन्तर्गत न आते हों;</p> <p>{(दस) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिये कोई अन्य प्रयोजन :</p> <p>परन्तु यह कि मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों, गलियों के निर्माण एवं अनुरक्षण में इस निधि का अधिकतम 50 प्रतिशत ही व्यय किया जायेगा।}¹</p>

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 31 वर्ष, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्—

(क) धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन मण्डी समिति से प्राप्त विकास उपकर की समस्त धनराशि ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार या बोर्ड निदेश दें।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; अर्थात् —

(क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य;

(ग) कृषि उपज के मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण या उपगत व्यय;

(घ) राज्य सरकार या बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कोई अन्य प्रयोजन।

ऐसे व्यय पर निर्बन्धन, जिसकी व्यवस्था बजट में न हो

63. (1) उस दशा को छोड़कर, जब बोर्ड की राय में तुरन्त आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें, किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि, जो बोर्ड द्वारा आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय के लेखे में समय—समय पर उस निमित्त नियत की गई धनराशि से अधिक हो, व्यय नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी धनराशि की स्वीकृति बोर्ड से न ले ली जाये।
- (2) यदि तुरन्त आवश्यक परिस्थितियों में कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाये तो उसके संबन्ध में एक प्रतिवेदन, जिसमें ऐसा व्यय उपदर्शित हो, बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

बोर्ड की उधार लेने की शक्ति

64. (1) बोर्ड, समय—समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्धपत्र या निधिपत्र जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैंकरों से प्रबन्ध करके उधार ले सकेगा।
- (2) बोर्ड, राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों की धनराशि के अतिरिक्त, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी धनराशिऋण पर नहीं लेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय परउस निमित्त नियत धनराशि से अधिक हो।
- (3) बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया गया निधिपत्र ऐसी रीति से जारी, अन्तरित या व्यवहृत किया जायेगा और उसका मोचन किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

बोर्ड के दायित्वों की प्राथमिकता

65. बोर्ड के राजस्व का उपयोग, उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात्, जहाँ तक उपलब्ध हो, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा, अर्थात्—
- (क) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को दिये गये ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज, का जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया राशि भी है, का प्रतिदाय;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदाय;
- (ग) बन्ध—पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिदाय;
- (घ) निधि—पत्र जो इस प्रकार प्रत्याभूत हो, के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिदाय;
- (ङ) निधि—पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूलधन और उसके

ब्याज का प्रतिदाय;

(च) बन्ध-पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिदाय।

- लेखे और लेखापरीक्षा 66. (1) बोर्ड, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, अपने कार्य-कलापों के कार्यक्रम का यथास्थिति, एक विवरण-पत्र अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगा/उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकेगा और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसे तारीख तक, जैसा वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (2) बोर्ड, उचित लेखावही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगा और तुलन पत्र तैयार करेगा।
- (3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को सभी विषयों के सम्बन्ध में लेखों को पेश किये जाने और जानकारी दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।
- (4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखे और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।
- (5) राज्य सरकार –
- (क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त बोर्ड के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी, और
- (ख) बोर्ड के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जैसा वह उचित समझे।
- अधिभार 67. (1) बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक, बोर्ड की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार के दायी होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुये उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचार का सीधा परिणाम हो।
- (2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।
- (3) कोई धनराशि, जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पाई जाये, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी, और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।
- (4) उपधारा (3) की कोई बात, उसमें निर्दिष्ट धनराशि को, ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद् में या अन्य प्रकार से देय किसी धनराशि में से वसूल करने से निवारित न करेगी।
- विनियम 68. बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, परिषद के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो।
- बोर्ड की शक्तियाँ 69. बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित कृत्यों को करेगा और उसके पास आवश्यकतानुसार निम्न कृत्यों को करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी :-

- (एक) मण्डी समितियों के कार्यकरण और उनके अन्य कार्यों का, जिसमें ऐसी मण्डी समितियों द्वारा बाजारों और मण्डी क्षेत्र के विकास के लिए किये गये कार्यक्रम भी है, समन्वय करना;
- (दो) कृषि उत्पाद बाजारों के विकास हेतु राज्य स्तरीय योजना तैयार करना;
- (तीन) मण्डी समिति के कार्यकरण, दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक नीतियाँ बनाना;
- (चार) विपणन कार्यों के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत, नियम बनाना;
- (पांच) मण्डी के विकास के लिये, मण्डी समिति द्वारा नये स्थलों के चयन के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करना;
- (छः) मण्डी क्षेत्र में ढाँचागत निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित करना;
- (सात) मण्डी समितियों द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर योजना और आगणन तैयार करने में मण्डी समिति का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना;
- (आठ) ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करना, जो बोर्ड की निधि से प्रभार्य हों;
- (नौ) वर्ष के अन्त में प्रगति रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण पत्र प्रतिवर्ष प्रकाशित करना तथा उसकी प्रतियाँ राज्य सरकार एवं बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित करना;
- (दस) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय-विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;
- (ग्यारह) बोर्ड एवं मण्डी समिति के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (बारह) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना;
- (तेरह) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, पर जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, मण्डी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उधार देना;
- (चौदह) ऐसे सभी अन्य कार्य करना, जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में अथवा बोर्ड के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाय, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (पंद्रह) कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिये सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना;
- (सोलह) कृषि मण्डियों के प्रबन्धन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी स्थापित करना और उसे बढ़ावा देना;
- (सत्रह) कृषि प्रसंस्करण क्रिया कलापों के साथ मूल्य वर्द्धन करना और उसे उन्नत बनाना;
- (अट्ठारह) व्यापार, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के विस्तार और उनके अन्तर्ण कार्य के लिए पृथक कार्यवार विस्तार चैम्बर स्थापित करना और विनियमित विपणन और विपणन के विकास और सम्बद्ध मामलों के प्रसार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;
- (उन्नीस) ई-व्यापार को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए, मण्डी समिति अवसंरचना की विनियामक प्रक्रिया स्थापित करना, उससे सम्बन्धित अन्य कार्य-कलाप करना और आवश्यक कदम उठाना; और
- (बीस) अधिसूचित कृषि उपज का श्रेणीकरण एवं मानकीकरण को संगठित करना।

प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां तथा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

बोर्ड की बैठकों का संचालन

71. (1) बोर्ड अपने कारवार के संव्यवहार के लिए तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान, तारीख और समय पर, जो अध्यक्ष अवधारित करे, अपनी बैठक आहूत करेगा।
- (2) बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से एक सप्ताह पूर्व बोर्ड की बैठक की सूचना प्रेषित की जायेगी।
- (3) विशेष परिस्थिति में, किसी प्रस्ताव विशेष पर परिचालन से कम से कम एक चौथाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (4) विशेष परिस्थितियों में आहूत बैठक में कुल सदस्यों के एक चौथाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अध्यक्ष की शक्तियाँ

72. बोर्ड के अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात् –
- (क) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना;
- (ख) बैठकों की तारीख, स्थान और समय अवधारित करना;
- (ग) बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त प्रबन्ध निदेशक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करना; एवं
- (घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समितियों एवं बोर्ड के दक्ष कार्यकरण सुधार हेतु प्रबन्ध निदेशक को निदेश देना।

प्रबन्ध निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य

73. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अधिकारियों एवं सेवकों तथा मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देश दे सकेगा अथवा उन पर नियन्त्रण रखेगा।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लिखतों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा और मण्डी समिति उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार, प्रबन्ध निदेशक से समिति, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध जाँच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकेगी और प्रबन्ध निदेशक तदनुसार कार्य करेगा।
- (4) प्रबन्ध निदेशक को, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिये, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो किसी वाद पर विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात्—
- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों को प्रकट करने और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना।
- (5) प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक सम्बन्धित लेखाओं और अभिलेखों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करेगा।
- (6) प्रबंध निदेशक, बोर्ड के निर्देशों और उसके द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों

एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

- (7) प्रबंध निदेशक कार्य की स्वीकृत मदों पर, उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि एवं केन्द्रीय मण्डी निधि से व्यय कर सकेगा।
- (8) वह आपात काल में ऐसे कार्यों को निष्पादित करने या रोकने के निर्देश जारी कर सकेगा और ऐसे कोई कार्य कर सकेगा जिसमें बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित हो।
- (9) वह बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करवायेगा।
- (10) वह बोर्ड के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करवायेगा।
- (11) वह बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करेगा एवं बैठक का कार्यवृत्त विहित प्रक्रिया के अनुसार अभिलिखित करेगा एवं अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से कार्यवृत्त जारी करेगा।
- (12) वह बोर्ड के विनिश्चयों के क्रियान्वयन हेतु विधि सम्मत कार्यवाही कर सकेगा।
- (13) वह बोर्ड निधि, मण्डी विकास निधि, एवं केन्द्रीय मण्डी निधि द्वारा कराये जा रहे मण्डी कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा एवं कार्यों का निरीक्षण करेगा।
- (14) प्रबंध निदेशक, अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियम एवं उपविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध, बोर्ड अथवा मण्डी समितियों के द्वारा पारित संकल्पों/कार्यों को तत्परता से शासन के संज्ञान में लायेगा और शासन के निर्देश प्राप्त होने तक ऐसे संकल्पों/कार्यों को रोकेंगा।
- (15) प्रबंध निदेशक को समिति के द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- (16) प्रबंध निदेशक, बोर्ड के कार्यों के सफल संचालन हेतु प्रभावी कदम उठायेगा।
- (17) प्रबंध निदेशक, कोई अन्य विषय, जो नियत किये जाये, के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर सकेगा।

समिति के किसी सदस्य को हटाने की बोर्ड की शक्ति

74. (1) बोर्ड, समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकेगा, यदि उसकी राय में –
- (क) वह सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, दुराचरण या कर्तव्य की घोर उपेक्षा का दोषी हो; या
- (ख) वह अर्हता नहीं रह जाती है जो उसके सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिये आवश्यक है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन हटाये जाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

समिति का अधिक्रमण

75. जब बोर्ड की यह राय हो कि किसी समिति ने अपने कृत्यों का सम्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त शक्तियों का अधिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है तो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समिति को अधिक्रान्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि अधिक्रमण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक बोर्ड ने समिति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

अधिक्रमण के परिणाम

76. (1) धारा 75 के अधीन समिति के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर, समिति के

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं।

- (2) राज्य सरकार निदेश देगी कि धारा 17 के अधीन नई समिति गठित करने के लिये कार्यवाही की जाये और उस समय तक, जब तक यथापूर्वोक्त धारा 17 के अधीन नयी समिति गठित न हो जाये, बोर्ड, समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिए, ऐसा प्रबन्ध करेगा, जो वह ठीक समझे और इस प्रयोजन के लिये निर्देश देगा कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कृत्यों का सम्पादन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे बोर्ड इस निमित्त नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति का अध्यक्ष समझा जायेगा।

समिति द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन का निषेध करने की प्रबन्ध निदेशक की शक्ति

77. (1) प्रबन्ध निदेशक, स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति या उसके अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन को, आदेश द्वारा, निषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संकल्प या आदेश लोक-हित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी क्षेत्र, प्रधान मण्डी-स्थल या उपमण्डी-स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा यह इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये नियमों या उपविधियों के विरुद्ध है।

- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या अग्रतर निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रवृत्त बना रहे तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे, जिसे करने का अधिकार समिति को, संकल्प न पारित किये जाने या आदेश न दिये जाने की दशा में होता और जो अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आदेश के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिये आवश्यक हो।

राज्य सरकार की शक्तियाँ

78. (1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से, कि बोर्ड या समिति इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलैक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, बोर्ड या समिति की किसी सम्पत्ति, कार्यालय, दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या बोर्ड या समिति के सभी या किसी कार्यकलाप की जाँच करने या कराने और ऐसी जाँच के परिणाम की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाये, देने की अपेक्षा कर सकेगी।

- (2) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, ऐसे आयुक्त या कलैक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जाँच करने के लिये, सभी सुविधायें देगा/देगी और, यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनों के लिये जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की माँग की जाये, जो उसके कब्जे में हो, तब उसे प्रस्तुत करेगा/करेगी।

अध्याय – सात

संविदा कृषि-कर्म

संविदा कृषि कर्म करार का स्वरूप

79. संविदा कृषि करार निम्नलिखित रीति से शासित होगा :-

- (क) मण्डी समिति प्रायोजक स्वयं को मण्डी समिति में या निर्धारित अधिकारी से ऐसी रीति से पंजीकृत कराएगा, जैसा कि विहित हो;

(ख) संविदा कृषि प्रायोजक संविदा कृषि करार को इस निमित्त विहित किये गये अधिकारी से अभिलेखबद्ध करायेगा। संविदा कृषि करार स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें ऐसे विवरण व शर्तों का उल्लेख हो, जो कि विहित की जाय;

कृषि सम्बन्धी संविदा करार में किसी बात के होते हुए भी संविदा कृषि करार से उद्भूत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार, स्वामित्व या अधिग्रहण का अन्तरण या अन्य संक्रामक या संविदा कृषि प्रायोजक या उसके उत्तराधिकारी या एजेंट में निहित नहीं किया जायेगा।

(ग) संविदा कृषि करार से उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु इस निमित्त निर्धारित किये गये प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। वह विहित प्राधिकारी विहित रीति से पार्टियों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद 30 दिन के भीतर संक्षेप में विवादों को सुलझाएंगे;

(घ) विहित प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित पार्टी खण्ड (ग) के अधीन निर्णय दिये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी, पार्टियों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर देने के बाद, 30 दिनों के अन्दर इस अपील को निपटा देगा और इस पर अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा;

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय तथा खण्ड (घ) के अधीन अपील पर दिया गया निर्णय किसी दीवानी न्यायालय के निर्णय के समान तथा प्रवर्तनीय होगा तथा आज्ञाप्ति राशि उस प्रकार वसूल की जायेगी, जिस प्रकार भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;

(च) संविदा कृषि करार से सम्बन्धित या इससे उठने वाले विवादों को, उसमें किये गये उपर्युक्त उपबन्धों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा;

(छ) संविदा कृषि करार के दायरे में आने वाले कृषि उपज को मण्डी यार्ड के बाहर संविदा कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और ऐसे मामलों में मण्डी शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

अध्याय—आठ

प्रकीर्ण

समिति के विरुद्ध
वाद

80. (1) किसी समिति, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत में की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि एक लिखित सूचना के, जिसमें वाद हेतुक और वादी का नाम तथा निवास स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने की तारीख से दो माह व्यतीत न हो गये हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन, सूचना —

(एक) जहां वह समिति के लिये हो, तो किसी भी कार्य दिवस को उसके कार्यालय में दी जायेगी या उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सचिव को दे दी जायेगी अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी; और

(दो) प्रत्येक अन्य दशा में, सम्बद्ध व्यक्ति को दी जायेगी या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी ; और

(तीन) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है, जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश हो, जिसका उद्देश्य, सूचना दिये जाने से, वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायेगा।

- मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली
81. बोर्ड या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा बोर्ड को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी समिति को देय कोई धनराशि, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी।
- पंजीकरण और नवीनीकरण
82. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि उपज के सम्बन्ध में व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल, पल्लेदार, वेयर हाउस मैन, संविदा कृषि क्रेता, प्रसंस्करण फैक्ट्री के स्वामी या संचालक या ऐसे अन्य मण्डी कर्मी के रूप में मण्डी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, पंजीकरण की मंजूरी या नवीनीकरण के लिए, मण्डी समिति को इस रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी विहित की जाय, आवेदन कर सकेगा।
- (2) मण्डी समिति, पंजीकरण को मंजूर या नवीनीकृत कर सकेगी या निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों के आधार पर पंजीकरण करने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकेगी:—
- (क) आवेदक नाबालिग हो या सदाशयी न हो;
- (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया हो; या
- (ग) आवेदक को इस अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया गया हो।
- (3) (क) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन, मण्डी समिति द्वारा, उपधारा (2) में यथा अपेक्षित चार सप्ताह में, निस्तारित कर दिया जायेगा, किन्तु यदि मण्डी समिति चार सप्ताह में उन आवेदनों को निस्तारित नहीं कर सकेगी तो—
- (एक) आवेदक अपने आवेदन के बारे में मण्डी समिति को लिखित में अनुस्मारक भेज सकेगा,
- (दो) इसके अतिरिक्त आवेदक इस सम्बन्ध में, लिखित रूप में, उस प्राधिकारी को सूचित कर सकेगा, जिसे बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित किया जाय।
- (ख) अनुस्मरण दिये जाने के बाद दो सप्ताह की कालावधि के अवसान पर, यदि आवेदन निस्तारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि यथा स्थिति, पंजीकरण या इसका नवीनीकरण स्वीकृत कर लिया गया है।
- (ग) विहित प्राधिकारी, प्राप्त सूचना के आधार पर तथा दो सप्ताह की कालावधि के अवसान, के बाद केवल इस तथ्य की पुष्टि करेगा कि पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन मण्डी समिति को दिया गया है तथा उसके निस्तारण हेतु मण्डी समिति द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई है और तब वह उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन, दो सप्ताह के भीतर समझा गया पंजीकरण या उसके समझे गये नवीनीकरण की मंजूरी से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र जारी करेगा।
- (4) इस धारा के अधीन मंजूर तथा नवीनीकृत किये गये सभी पंजीकरण, इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधधीन होंगे।
- निजी यार्डों की स्थापना एवं कृषक से कृषि उपज की सीधी खरीद (उत्पादक से सीधी खरीद)
83. राज्य सरकार, एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में सीधे कृषक से, निम्नलिखित के लिए, कृषि उपज खरीदने हेतु निजी मण्डी स्थापित करने के लिए, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुरूप, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी—
- (क) कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए,
- (ख) विशिष्ट विनिर्देश के अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार,
- (ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात करने के लिए, एवं/अथवा
- (घ) अधिसूचित कृषि उपज का, मूल्य वर्द्धन द्वारा अन्य रीति से, श्रेणीकरण, पैकिंग और संव्यवहार करने के लिए।
- उपभोक्ता/कृषक मण्डी (उत्पादक द्वारा सीधा विक्रय) की स्थापना
84. (1) उपभोक्ता/कृषक मण्डी, यथा विहित विकसित अथवा अवसंरचना द्वारा विकसित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मण्डी क्षेत्र में, स्थापित की जा सकेगी। ऐसे स्थान पर कृषि उपज का उत्पादक स्वयं यथाविहित रीति से, अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को

बेचेगा :

परन्तु यह कि उपभोक्ता मण्डी में कोई वस्तु यथाविहित से अधिक नहीं खरीद सकेगा।

- (2) मण्डी सेवा प्रभार, कृषि उपज के विक्रय पर, विक्रेता द्वारा एकत्रित किये जायेंगे और उपभोक्ता मण्डी के मालिक को दिये जायेंगे।
- (3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपभोक्ता/कृषक मण्डी में किये गये संव्यवहारों पर कोई मण्डी फीस उद्ग्रहित नहीं की जायेगी।
- (4) उपभोक्ता/कृषक मण्डी की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी।

मण्डी समिति के मध्य
विवाद का निपटारा

85. (1) किन्हीं दो या अधिक मण्डियों (चाहे वह किसी भी वर्ग की हों) के बीच उठे विवाद को प्रबन्ध निदेशक या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी को संदर्भित किया जायेगा, दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए युक्ति युक्त अवसर यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार दिये जाने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय किया जायेगा। राज्य सरकार, प्रदेश स्तर पर एक "मण्डी नियामक प्राधिकरण" गठित करेगी और उसके सुचारू रूप से कार्य करने हेतु नियम बना सकेगी।
- (2) उपर्युक्त उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा इसे किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

प्रवेश करने, तलाशी
लेने और अधिग्रहण
करने की शक्ति

86. (1) मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी—
 - (क) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, किसी/सभी युक्तियुक्त समयों पर कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा बहियों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहाँ पर ऐसी लेखा-बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा गया हो अथवा रखे जाने का युक्तियुक्त विश्वास हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण, जो आवश्यक समझे जायें, ले सकेगा या लिवा सकेगा;
 - (ख) किसी लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुये, अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की मालसूची को तैयार कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी मालसूची की एक प्रति, ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को, दी जायेगी;

- (ग) जब कोई लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से पाये जाते हैं तो यह उपधारणा की जायेगी कि—

(एक) ऐसी लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उसी व्यक्ति के हैं,

(दो) उक्त लेखा बही व अन्य दस्तावेजों की लेख की विषय अर्न्तवस्तु सही है, और

(तीन) उक्त लेखा बही व दस्तावेज पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर व हस्तलेख है, जिसके द्वारा उसका लिखा जाना तात्पर्यित है या जिसके सम्बन्ध में यह उपधारणा की जा सकती है कि वे उसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर और

हस्तलेख है, जो उस व्यक्ति के होने चाहिए;

- (घ) किसी ऐसे कृषि उत्पाद को अधिग्रहीत कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है ;
- (ङ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अधिग्रहीत कर सकेगा, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पाद को ले जाने के लिये प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरूद्ध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो :

परन्तु यह कि कृषि उत्पाद, गाड़ी या पशु को अधिग्रहीत करने वाला व्यक्ति, अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध यथाशक्य, उपर्युक्त अधिग्रहीत कृषि उत्पाद, गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्ति पर लागू होते हैं :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन गाड़ी या पशु को अधिग्रहीत करने के आधार की सूचना उस व्यक्ति को, जिसके पास से वह अधिग्रहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अधिग्रहण किये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर लिखित रूप से दी जायेगी।

- (2) इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 100 के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण के प्राविधान यथाशक्य लागू होंगे।

पुलिस सहायता

87. बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या समिति का सचिव अथवा समिति द्वारा इस प्रकार अधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अन्य किसी विधि-सम्मत कार्य करने के लिए, जो उसे सौंपे गये हैं व आवश्यकता पड़ने पर, स्थानीय पुलिस अधिकारी, जो उप-पुलिस निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेगा।

शास्ति

88. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 13, 14 एवं 15 या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर –

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो द्वितीय दोष सिद्धि या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की तारीख वाद के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किसी विशेष या प्रतिकूल कारण के अभाव में, प्रथम अपराध के लिए जुर्माना दो हजार पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

- (2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का धारा 13, 14 एवं 15 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और

उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम सिद्ध दोष होने की तारीख से बाद के प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, पाँच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

- (3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाये, तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माने के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को उसका भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकेगा और मण्डी समिति को भुगतान कर सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

89. (1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार-साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्याय में उपबन्धित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, “निदेशक” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का शमन

90. (1) मण्डी समिति अथवा मण्डी समिति के संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार से मण्डी समिति का सभापति, जिसकी अधिकारिता में मण्डी क्षेत्र, प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल आता है, ऐसे व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, या युक्तियुक्त रूप से किये जाने की आशंका है, वसूलीय किसी फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, शमन फीस के रूप में रू0 पचास हजार से अनधिक की धनराशि ले सकेगा और अपराध का शमन करेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर, ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो, उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष-मुक्त हो जायेगा।

अपराधों पर विचारण

91. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो।
- (2) जब तक प्रबन्ध निदेशक या सचिव मण्डी समिति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने उस निमित्त संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया

जाये, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

उप-विधियां

92. (1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और, उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत, निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिये, उप-विधियां बना सकेगी; अर्थात् :-
- (क) अपने कार्यों का विनियमन;
- (ख) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों और पल्लेदारों के कर्तव्य; और
- (ग) कोई अन्य विषय, जिसका उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उप-विधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि उस उपविधि से, जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुझाये गये प्ररूप या प्रतिमान उप-विधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उप-विधि, तब तक विधिमान्य न होगी जब तक कि वह प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाये।

- (2) यदि उपधारा (1) में से निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में, समिति ने कोई उप-विधियाँ नहीं बनाई है अथवा यदि समिति द्वारा बनाई गई उप-विधियाँ, प्रबन्ध निदेशक की राय में पर्याप्त नहीं है तो प्रबन्ध निदेशक उप-विधियाँ बना सकेगा, जिसमें ऐसे विषयों की उस सीमा तक व्यवस्था होगी, जो वह उचित समझे।
- (3) इस धारा के अधीन उप-विधियाँ बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये किया जायेगा।

नियम

93. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियमों में उपबन्ध किये जा सकेंगे :-
- (एक) समिति के सदस्यों को नामित करने और उससे सम्बद्ध मामले, जिसके अन्तर्गत समिति के गठन से सम्बद्ध अन्य विषय भी हैं,
- (दो) किसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के पद में रिक्ति का भरा जाना,
- (तीन) समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नामित करना,
- (चार) समिति की बैठकों से सम्बन्धित प्रक्रिया, जिनमें गणपूर्ति भी है,
- (पाँच) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जाये,
- (छः) समिति तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों से सम्बद्ध मामले;
- (सात) अनुज्ञप्ति फीस और मण्डी फीस, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति;
- (आठ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति को जारी किये जाने और उनके नवीनीकरण की निर्बन्धन और शर्तें,
- (नौ) अनुज्ञप्ति जारी करने, अनुज्ञप्ति जारी करने से इन्कार करने, अनुज्ञप्ति नवीकृत व अनुज्ञप्ति रद्द करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया;
- (दस) अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा मासिक एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना;

- (ग्यारह) मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पाद के सौदों के सम्बन्ध में मण्डी फीस के अधिरोपण की पद्धति;
- (बारह) इस अधिनियम के अन्तर्गत मतभेदों और विवादों के निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (तेरह) रीति, जिनके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार किया जाना हो तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना हो;
- (चौदह) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएं;
- (पन्द्रह) प्ररूप, जिनमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति, जिसके अनुसार उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी और वह समय जिस पर वे प्रकाशित किये जायेंगे;
- (सोलह) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्ररूप तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले विशिष्टियाँ;
- (सत्रह) समिति की अधिशेष निधियों के विनियोजन और उनका निस्तारण करने की रीति;
- (अठारह) उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि में धनराशि जमा करने, उससे आहरण करने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति;
- (उन्नीस) मण्डी क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले बांट, माप और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;
- (बीस) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी स्थलों या उपमण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे;
- (इक्कीस) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण और मानकीकरण;
- (बाईस) व्यापारियों द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि-उत्पाद की कीमत सूची का प्रदर्शन;
- (तेईस) रीति, जिसके अनुसार मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की बिक्री या उसकी नीलामी की जायेगी और बोलियां लगाई जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायेगा;
- (चौबीस) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है;
- (पच्चीस) समिति की ओर से संविदा करने के लिये प्राधिकार और उसे करने की रीति;
- (छब्बीस) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की निबन्धन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवामुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;
- (सत्ताईस) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उसका निस्तारण करने के लिए प्रक्रिया;
- (अट्ठाईस) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हो, विनियमन;
- (उनतीस) अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार करने, अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा अधिरोपण आदेश के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया के विषय में;
- (तीस) माध्यस्थम और अपीलों की फीस;
- (इक्तीस) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तौलकों द्वारा लेखा पुस्तिकाओं का रखा

जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण;

(बत्तीस) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग;

(तैंतीस) मण्डी क्षेत्र में लाये गये किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का संग्रह करने के लिये स्थान की व्यवस्था;

(चौतीस) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(पैतीस) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(छत्तीस) दलालों को, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से सौदे में काम करने का निषेध करना;

(सैंतीस) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन से सम्बद्ध विषय;

(अड़तीस) धारा 37 के अधीन केन्द्रीकृत सेवा का गठन;

(उनचालीस) धारा 34 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया; एवं

(चालीस) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय या विहित किया जा सकता हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब सत्र में हो, रखा जायेगा और जब तक कोई बाद की तारीख निर्धारित न की जाये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से ऐसे उपान्तरणों या संशोधनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान सभा करने के लिये सहमत हों, तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या संशोधन उनके अधीन पहले की गई किसी वाद की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाइयों का निवारण 94. यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसी कठिनाई के निवारण हेतु, ऐसे आदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

निरसन एवं व्यावृत्तियाँ 95. (1) उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972, (यथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के सुसंगत उपवन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही समझी जायेगी।

अनुसूची

{धारा 3 देखिये}

(क) कृषि

(1) अनाज :-

1. गेहूं
2. जौ
3. धान
4. चावल
5. ज्वार
6. बाजरा
7. मक्का
8. वेझर
9. मडुवा
10. जई
11. काकून (कौड़ी)
12. कोदों
13. कुटकी
14. सावों

(2) द्वि-दलीय उत्पाद :-

1. चना
2. मटर
3. अरहर
4. उरद
5. मूंग
6. मसूर
7. लोबिया (बीज)
8. सोयाबीन
9. खेसरी
10. सनई (बीज)
11. ढैंचा (बीज)
12. ग्वार
13. मोठ
14. गहत (कुलथी)
15. राजमा

(3) तिलहन -

1. सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित हैं)
2. सेहुवा बीज
3. अलसी
4. अण्डी
5. मूंगफली
6. तिल बीज
7. महुआ की गुठली
8. गुल्लू
9. बिनौला
10. बर् अथवा कुसुम (बीज)
11. नारियल

(4) रेशे -

1. जूट
2. सनई का रेशा,
3. रूई (ओटी हुई और बिना ओटी)
4. पटसन
5. ढैंचा
6. रामवांस
7. मेसूटा

(5) स्वापक -

1. तम्बाकू

(6) मसाले -

1. धनिया
2. पकी मिर्च
3. मेथी (बीज)
4. सोंठ
5. सौफ
6. हल्दी
7. खटाई और अमचूर
8. जीरा

(7) घास तथा चारा

1. सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)
2. भूसा

(8) विविध -

1. चौलाई (बीज)
2. पोस्ता
3. रामदाना
4. अखरोट
5. बान
6. निमकौली
7. सेलेरी का बीज
8. अम्ब्रि बीज
9. महुआ का फूल (सूखा)
10. चिरौंजी
11. बरसीम (बीज)
12. ल्यूसर्न (बीज)
13. मखाना
14. गन्ना
15. मैसुटा (बीज)
16. गुड (गुड़लौटा, गुड़बाल्टी, गुड़रसकट, गुड़बड्डा)
17. राब (सलावट एवं गलावट)
18. पिपर मिन्ट
19. गन्ने की खोई (बैगास)
20. मशरूम

(ख) उद्यान कृषि :-

(1) सब्जियाँ :-

1. आलू
2. प्याज
3. लहसुन
4. शकरकन्द
5. अरबी
6. अदरक (हरी)
7. कचालू
8. मिर्च (हरी)
9. टमाटर
10. बन्द गोभी, फूल गोभी, नाल और खौल गोभी
11. गाजर
12. मूली
13. बैंगन
14. टिन्डा
15. लौकी
16. हरी मटर
17. शलजम
18. परवल
19. सेम
20. साग (सब प्रकार के)
21. पान
22. चुकन्दर
23. रतालू
24. जिमीकन्द
25. सलाद
26. सोया
27. कटहल (कच्चा)
28. ककड़ी
29. चिचिंडा
30. करेला
31. तोरई
32. पेठा
33. भिण्डी
34. कद्दू
35. ग्वार
36. इमली
37. बन्डा
38. सिंघाड़ा
39. लोबिया (हरी)
40. फासबीन

(2) फल :-

1. नींबू 2. नारंगी 3. मुसम्बी 4. माल्टा 5. छोटा चकोतरा 6. केला 7. अनार 8. स्ट्रावेरी
9. खरबूज 10. तरबूज 11. फूट 12. पपीता 13. फालसा 14. पोस्ता 15. सेब
16. अमरूद 17. बेर 18. आंवला 19. लीची 20. चीकू 21. आड़ू 22. लोकाट 23. बेल
24. अन्नानास 25. आम 26. पुलम (आलू बुखारा) 27. अन्जीर 28. कटहल (पक्का) 29. कमरख
30. करौंदा 31. खजूर 32. खिरनी 33. खूबानी 34. जामुन 35. नाशपाती व नाख
36. शरीफा 37. शहतूत 38. चकोतरा 39. रसभरी

(ग) पुष्पकर्म

(घ) द्राक्षा-कृषि

1. अंगूर

(ङ) मधुमक्खी पालन

1. शहद 2. मोम

(च) कोशकीट पालन

1. रेशम

(छ) मत्स्य संवर्धन

1. मछली

(ज) पशुपालन उत्पाद -

1. कुक्कुट 2. अण्डा 3. पशु 4. भेड़ 5. बकरी 6. मक्खन 7. घी 8. खोया 9. पनीर
10. दूध 11. चमड़ा और खाल 12. हड्डी 13. गोस्त 14. ऊन 15. सुअर का बाल

(झ) वन उत्पाद -

1. गोंद, 2. लकड़ी 3. तेंदु की पत्ती, 4. लाख 5. रीठा 6. कत्था 7. लीसा ।

-----***-----

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011

[Uttarakhand Act No. 09 of 2011]

An Act

to provide for the effective regulation in marketing of agricultural produce, establishment and development of proper and modern marketing system, promotion of agricultural processing and agricultural export, superintendence and control of markets in the State of Uttarakhand and for the matters connected there with or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Uttarakhand in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows-

CHAPTER-I PRELIMINARY

- | | | |
|--|----|---|
| Short Title,
Extent and
commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011.
(2) It extends to the whole of Uttarakhand.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint. |
| Definitions | 2. | In this Act, unless the context otherwise requires :-
(i) "Agricultural Produce" means all produce and commodities, whether processed or unprocessed, of agriculture, horticulture, floriculture, viticulture, apiculture, sericulture, pisciculture, animal husbandry, forest produce, as are specified in the Schedule or declared by the State Government, by notification, from time to time and includes admixture of two or more of such products, processed in form and further includes <i>Gur, Rab, Shakkar, Khandsari and Jaggery</i> ;
(ii) "Agriculturist" or "Producer" means a person, who, by his own labour or by the labour of any member of his family or by the labour of hired labour or otherwise, is engaged in the production and growth of agricultural produce, but it does not include any market functionary like a trader, broker (<i>dalal</i>), commission agent (<i>arhatiya</i>) or who is otherwise ordinarily engaged in the business of storage of agricultural produce;
(iii) "Bill" means bill issued by the trader, commission agent or <i>arhatiya</i> , as may be prescribed;
(iv) "Board" means the Uttarakhand State Agricultural Marketing Board, established under section 47 of this Act;
(v) "Business" means purchase, sale, processing, storage, transportation or connected activities of agricultural produce;
(vi) "Buyer" (Purchaser) means a person, group of person, firm or company or co-operative society or Government agency, corporation, trader, commission agent or <i>arhatiya</i> , who, himself or on behalf of any other person or agent, buys or agrees to buy agricultural produce in the Market Area, as notified under this Act;
(vii) "Bye-laws" means the Bye-laws made by Agriculture Produce Marketing |

Committee, under the provisions of this Act;

- (viii) "Central Warehousing Corporation" means the Central Warehousing Corporation, established or deemed to be established under the Warehousing Corporation Act, 1962 (Act No. 58, 1962);
 - (ix) "Chief Executive Officer" means a person, appointed as such under subsection (2) of section 36 of the Act, by Agriculture Produce Marketing Committee.
 - (x) "Collector" means the Collector of the District, where the Principal Market Yard of the Market Area is located, and includes such other officer, as may be authorized by him in that behalf;
 - (xi) "Commissioner" means, the Commissioner of such administrative division of the State, where the Principal Market Yard of the Market Area is located;.
 - (xii) "Commission Agent, dalal or arhatiya" means a person, who, in the ordinary course of business, negotiates or arrange contracts for the purchase or sale of the agricultural produce, on behalf of his principal, on payment of his commission or remuneration, whether in cash or kind, but it does not include the servant of such principal, whether engaged in negotiating or arranging such contracts;
 - (xiii) "Committee" means the Agricultural Produce Marketing Committee, constituted under this Act;
 - (xiv) "Contract Farming" means farming by a person, who shall be called "Contract Farming Producer", on his land under a written agreement with another person called "Contract Farming Sponsor" to the effect that his farm produce shall be purchased as specified in the agreement;
- Explanation- (a) "Contract Farming Producer" means an individual agriculturists, or an association of agriculturists, by whatever name called, registered under any law for the time being in force;
- (b) "Contract Farming Sponsor" means a person, firm, company, group of persons or a body, by whatever name called, registered under any law for the time being in force;
- (xv) "Contract Farming Agreement" means the written agreement, made for contract farming between Contract Farming Sponsor and contract farming producer;
 - (xvi) "Co-operative Marketing Society" means a Co-operative Society of producers, registered under the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003 (Uttaranchal Act No. 5 of 2003), which has, as its principal objects, the promotion of sale or purchase of agricultural produce;
 - (xvii) "Nomination" means a person, appointed/nominated by the State Government in this behalf by general or special order;
 - (xviii) "Export" means dispatch of agricultural produce outside India;
 - (xix) "Exporter" means any such person or firm, who exports agricultural produce.
 - (xx) "First Arrival" means such notified agricultural produce, which reaches Market Area for sale, storage or transaction, upon which no market fee has been paid, even if it has been brought to that Market Area from any other

Market Yard or Market Area or State or India;

- (xxi) "Import" means bringing agricultural produce from outside India;
- (xxii) "Importer" means such person or firm, who imports agricultural produce from outside India;
- (xxiii) "Licence" means license granted under this Act;
- (xxiv) "Licensee" means a person, association, firm, company, public sector undertaking or society, to whom a license has been granted under this Act;
- (xxv) "Local Body" means a Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Cantonment Board, Nagar Panchayat, Zila Panchayat and Gram Panchayat, constituted or established under any enactment in force in Uttarakhand;
- (xxvi) "Managing Director" means an officer, appointed by the State Government as Managing Director and includes any other officer authorized by the Board or Managing Director to perform all or any of his functions under this Act;
- (xxvii) "Marketing" means all activities involved in the flow of agricultural produce from the production point till they reach the consumer viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;
- (xxviii) "Market Area" means any area notified as such under section 10 or modified under section 11 of this Act;
- (xxix) "Market Charges" includes charges on account or in respect of commission, brokerage, weighing, measuring, hammali (loading, unloading and carrying) cleaning, drying, sieving, stitching, stacking, hiring, filling up of gunny bags, stamping, bagging, storing, warehousing, grading, surveying, transporting and processing and also include any charge, by whatever name called, which is realized or may be realized by, or may be payable to, a trader in respect of any transaction of sale or purchase of any specified agricultural produce under or purporting to be under any custom or usage of trade, or otherwise;

Explanation :- Every deduction other than a deduction made on account of deviation from sample, when the purchase is made by sample, or on account of deviation from standard when the purchase is made by reference to a known standard, or on account of difference between actual and the standard weight or measure, shall be deemed as a trade-charge;

- (xxx) "Market Functionary" means a trader, a commission agent, processor, a stockist and such other person, as may be declared under this Act or the rules or bye-laws made there under to be a Market Functionary;
- (xxxi) "Member" means a member of the Marketing Committee;
- (xxxii) "Other Backward Classes" means the scheduled citizens, mentioned in the schedule 'I' of the Uttar Pradesh Lok Seva (Reservation for Scheduled, Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand);
- (xxxiii) "Palledar" means a labourer, engaged for dara-making, loading, unloading, filling, emptying or carrying any agricultural produce;
- (xxxiv) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (xxxv) "Principal Market Yard" means a portion of a market area, declared as such,

under section 10 of this Act;

- (xxxvi) "Private Market Yard" means such place other than the market yard/sub market yard in the market area, where infrastructure has been developed and managed by a person, who holds a license for this purpose under this Act for marketing of a notified agricultural produce;
- (xxxvii) "Processing " means any one or more of a series of treatments relating to powdering, crushing, decorticating, husking, parboiling, polishing, ginning, pressing, curing or any other manual, mechanical, chemical or physical treatment to which raw agricultural produce or its product is subjected to;
- (xxxviii) "Processor" means a person, who undertakes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;
- (xxxix) "Purchase" includes barter or receipt of goods, by way of pledge or as security for the amount advanced;
- (xl) "Registration " means registration done under this Act;
- (xli) "Regulation" means regulation made by the Board, in accordance with the provisions of this Act;
- (xlii) "Retail sale", in relation to any specified agricultural produce, means a sale of that produce, not exceeding such quantity, as a market Committee may specify in its bye-laws to be the limit of retail sale;
- (xliii) "Rules" means rules made under this Act by the State Government;
- (xliv) "Sale" means and includes barter or deposit of goods, by way of pledge or as security, for the amount received as advance;
- (xlv) "Scheduled Caste" and "Scheduled Tribes" shall carry the same meaning as assigned to them under clause (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India;
- (xlvi) "Second Arrival" means such agricultural produce, which has been brought to any Market Area after the first transaction or sale from any other Market Area;
- (xlvii) "Seller" means a person or an agent, who sells or agrees to sell any agricultural produce;
- (xlviii) "Specified Agricultural Produce" means agricultural produce specified in the notification under section 4 or as modified under section 12 of this Act;
- (xlix) "State Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (l) "State Warehousing Corporation" means the State Warehousing Corporation of Uttarakhand;
- (li) "Sub market Yard" means a portion of a Market Area, declared as such under section 11 of this Act;
- (lii) "Trader" means a person, who, in the ordinary course of business, is engaged in buying or selling agricultural produce and includes a person, engaged in processing of agricultural produce but agriculturist is not included therein;

- (liii) "Transportation" means taking agriculture produce by pushcart, bullock cart, tractor, truck or other vehicle in course of business for marketing from one place to another;
- (liv) "Transporter" means a person, who transports agricultural produce;
- (lv) "Value Addition" means processing, grading, packing, or other activities due to which value is added to the agricultural produce;
- (lvi) "Village" shall have the same meaning as assigned in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land reforms Act, 1951 (Uttar Pradesh Act No. 01 of 1951) (as applicable in the State of Uttarakhand);
- (lvii) "Weighing or Measuring Instrument" means a weighing instrument or measuring instrument, as defined in the Uttar Pradesh Weights and Measures, (Enforcement) Act, 1959 (Uttar Pradesh Act No. 05 of 1959) (as applicable to the State of Uttarakhand);
- (lviii) "Weighman" means a person, who, in the ordinary course of business, is engaged in weighing of agricultural produce in connection with a transaction of sale or purchase thereof;
- (lix) "Weights or Measures" means commercial weights or measures or a standard weight or measure, as defined in the Uttar Pradesh Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959 (as applicable to the State of Uttarakhand);
- (lx) "Whole-sale Transaction", in relation to any specified agricultural produce, means sale and purchase of that produce exceeding such quantity, as a Market Committee may specify in its bye-laws, to be the limit of retail sale;
- (lxi) "Zila Panchayat" means the Zila Panchayat of the District, in whose jurisdiction the Principal Market Yard is located.

Power to amend Schedule

3. The State Government may, by notification in the official gazette, add to, amend or omit any of the items of agricultural produce specified in the Schedule annexed herewith, and thereupon the Schedule shall stand amended accordingly.

CHAPTER-II ESTABLISHMENT OF MARKET

Declaration of intention to regulate and to control sale and purchase of agricultural produces in any area

4. Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in public interest to regulate the sale and purchase of agricultural produces in any area and for that purpose to declare that area as a market area, it may, by notification in official gazette and in such other manner, which may be prescribed, declare such area as a Market Area under this Act, with effect from such date, as may be notified.

Declaration of market area and development and regulation of marketing of specified agricultural produce therein

5. After the expiry of the period specified in the notification issued under section 4 and after considering such objections and suggestions as may be received before such expiry and making such inquiry, if any, as may be necessary, the State Government may, by notification, declare the area specified in the notification issued under section 4 or any portion thereof to be market area for the purpose of this Act and that marketing of all or any of the kinds of agricultural produce specified in the notification issued under Section 4 shall be developed and regulated under this Act in such market area.

Market Yards, Sub-Market Yards, Farmers/ Consumer / Farmers market and Private Market	<p>6. (1) In every market area, there may be :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) market yard managed by the Market Committee, (b) one or more than one sub market yards managed by the Market Committee, (c) one or more than one private market yards/ private markets managed by a person other than a Market Committee, (d) one or more than one farmers/consumer markets managed by a person other than a Market Committee, <p>(2) The State Government shall, as soon as may be, after the issue of notification under Section 4, by notification, declare any specified place including any structure, enclosure, open place, or locality in the market area to be a market yard or sub-market yard, as the case may be.</p>
Notification of intention to alter limits of or to amalgamate or to split up market areas to de-establish a market	<p>7. Every notification issued under section 11 shall define the limits of the area which is intended to be included in or excluded from a market area, or of the market area intended to be amalgamated into one, or of the area of each of the markets intended to be constituted after splitting up an existing market area or of the area of the market intended to be de-established, as the case may be, and shall also specify the period which shall not be less than six weeks within which objections, if any, shall be received by the State Government.</p>
Procedure subsequent to notification under section 6	<p>8. (1) Any inhabitant of the market area or of the areas affected by the notification issued under section 10 may, if he objects to anything contained therein, submit his objections in writing to the State Government within the period specified for this purpose in the said notification.</p> <p>(2) When the period specified in the said notification has expired and the State Government has considered and passed orders on such objections as may have been submitted to it within the said period, the State Government may, by notification-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) include the area or any part thereof in the market area or exclude it therefrom; (b) constitute a new Market Committee for the market area amalgamated; or (c) split up an existing market area and constitute two or more Market Committees for such areas, as the case may be; or (d) de-establish the market; and (e) Publish modified list of agricultural produce to be regulated in the market.
Effect of alteration of limits	<p>9. Where a notification under section 11 has been issued excluding any area from the market area and including any such area in any other market area, the State Government shall after consulting the Market Committee involved frame a scheme to determine what portion of the assets and other properties vested in one Market Committee shall vest in the other Market Committee and in what manner the liabilities of the Market Committees shall be apportioned between the two Market Committees and such scheme shall come into force on the date of publication in the Gazette.</p>
Power of State Government to issue	<p>10. (1) Where a notification under section 12 has been issued the State Government may pass such consequential orders as it may deem fit in respect of-</p>

consequential order with respect to constitution etc. of market committees on alteration of limits, amalgamation or splitting up

- (a) Where a notification is issued under sub-section (2) of Section 12 excluding area from any market area and such excluded area is not declared to be separate market area or a notification is issued under sub-section (2), including any area within the market area, the Market Committee constituted for such market area before the date of such exclusion or inclusion shall, notwithstanding anything contained in this Act, continue to be the Market Committee for the said market area until the reconstitution of such Market Committee under this Act;
- (b) In the event of amalgamation of dissolved Market Committee, the committee-in-charge shall consist of the following members, namely :-
- (i) a Chairman to be nominated by the State Government;
 - (ii) ten representatives of Agriculturists to be nominated by the State Government;
 - (iii) one representative of Traders to be nominated by the State Government;
 - (iv) one representative of the Co-operative Marketing Society functioning in the market area to be nominated by the State Government;
 - (v) an Officer of Agriculture/Cooperation Department working in the district to be nominated on the recommendation of the Collector;
 - (vi) one member of the Weighmen and palledars operating in the market area holding licence from the Market Committee to be nominated by the registered union of Palledar and Weighmen;
 - (vii) one representative Chairman of the Local authority of the headquarter of the committee (Chairman of Nagarpalika/ Mahanagarpalika, Panchayat Samiti or Zila Parishad as the case may be);
- (c) Where in case of split up of a Market Committee each committee-in-charge consisting of a Chairman, Ten representative of Agriculturists and a representative of Traders shall be constituted :

Provided that :-

- (i) Chairman of the dissolved Market Committee shall be nominated Chairman of the newly established Market Committee of which he is a voter and for the other Market Committee, The State Government shall nominate a Chairman who possesses the qualifications prescribed in sub-section (3) of section 17;
- (ii) representative of agriculturists of dissolved Market Committee shall also be nominated as member of newly established Market Committee of which he is permanent resident and remaining representatives of the agriculturists shall be nominated by the State Government who possesses the qualifications prescribed in sub-section (3) of section 17;
- (iii) representative of traders of the dissolved Market Committee shall be nominated as a member of the newly established Market Committee of which he is a permanent resident and for the other Market Committee, the State Government shall nominate such licensee trader as representative of traders who possesses the qualifications prescribed in proviso of sub-section (1) of section 17;
- (iv) one representative of the Co-operative marketing society functioning in the market area to be nominated by the State Government (who shall be elected by the managing committee of such society);
- (v) an officer of the Agriculture Department working in the district to be nominated on the recommendation of the Collector;
- (vi) one member of the Weighmen and palledars operating to be nominated

- by the registered union of palledar and Weighmen;
- (vii) one representative of the Local authority of the places where the Market Committee is located (Chairman of Nagarpalika/ Mahanagarpalika, Panchayat Samiti or Zilla Parishad as the case may be);
- (viii) the committee-in-charge constituted under sub-section (1) shall subject to the control of the Director, exercise all the powers and perform all the duties of the Market Committee under this Act.
- (2) The provisions of section 16 shall apply to the constitution of a Market Committee under sub-section (1) as they apply to the constitution of a Market Committee for a market established for the first time.
- Declaration of Principal Market Yards, Sub-market Yards and Private Market Yards
11. The State Government, where it considers necessary and expedient so to do in public interest, may, by notification in official gazette,-
- (i) include any area in or exclude any area from the area of the Principal Market Yard or Sub market Yard or Private Market Yard or abolish the existing Principal Market Yard or Sub market Yard or Private Market Yard and declare a new Principal Market Yard or Sub market Yard, or Private Market Yard;
- (ii) declare that the whole-sale transactions of all or any of the specified agricultural produces in respect of the Market Area shall be carried on only at a specified place or places within its Principal Market Yard or Sub market Yard or Private Market Yard.
- Alteration of Market Area and modification of schedule of Agricultural produces
12. (1) The State Government, where it considered necessary and expedient in the public interest so to do, may, by notification in the official gazette, and in such other manner as may be prescribed and with affect from the date specified in the notification :-
- (a) include any agricultural produce in, or exclude any agricultural produce from, the list of agricultural produce, specified in the notification under section 3;
- (b) include any area in, or exclude any area from, the Market Area, specified in the notification under section 4;
- (c) divide a Market Area, specified in the notification under section 4, into two or more separate Market Areas;
- (d) amalgamate two or more Market Areas, specified in the notification under section 4, into one Market Area;
- (e) declare that Market Area, specified in the notification under section 4, shall cease to be such area.
- (2) When, during the term of a Market Committee, the limits of the Market Area, for which it is established, are altered under clause (b), (c) or clause (d) of sub section (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow :-
- (a) the Market Committee shall stand dissolved and its members shall vacate their offices as such members;
- (b) a new Market Committee shall be constituted for the modified or newly created Market Area according to the provisions of section 10;
- (c) all property and assets, all rights, liabilities and obligations of the dissolved Market Committee in respect of civil or criminal proceedings, contracts, agreements or other matter or thing arising in relation to any part of the Market Area of a dissolved Market Committee shall be vested in and shall stand transferred to the new Market Committee

having jurisdiction over that part.

- (3) Where a Market Area ceases to be such area under clause (e) of sub-section (1), the following consequences shall, with effect from the date specified in the notification, follow :-
- (a) the Market Committee shall stand dissolved and its members, shall vacate their offices as such members,
 - (b) the Principal Market Yard, Sub-market Yards and Private Market Yards, if any, established therein shall cease to be such,
 - (c) the unspent balances of the Market Committee Fund and other assets and liabilities of the Market Committee shall vest in the State Government :

Provided that the liability of the State Government shall not extend beyond the assets so vested.

Effects of
declaration of
Market Area

13. (1) As from the date of declaration of an area as Market Area, no Local Body or other person shall, within the Market Area, set up, establish or continue, or allow to be set up, established or continued, any place for the sale-purchase, storage, weighman or processing of the specified agricultural produce, except under and in accordance with the condition of a license granted by the Committee concerned, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, custom, usage or agreement :

Provided that the provisions of this sub section shall not apply to a producer in respect of agricultural produce, reared, or processed by him or to any person, who purchases or stores any agricultural produce for his domestic consumption.

- (2) No person shall, in a Principal Market Yard, or Sub market Yard or Private Market Yard, carry on business or work as a trader, broker, commission agent, ware-houseman, weighman, palledar or in such other capacity as may be prescribed, in respect of any specified agricultural produce except under and in accordance with the conditions of a license obtained there for from the Committee concerned.
- (3) The provisions of the sub-section (1) and (2) shall not apply in relation to any specified agricultural produce, pledged or hypothecated in favour of a Bank as security for any amount advanced by such Bank.

No Trade
Charges
permissible
except as
prescribed by
rules and bye-
laws

14. (1) As from the date to be notified by the State Government in the official gazette, no person shall, in a Principal Market Yard or Sub market Yard or Private Market Yard, levy, charge or realize, any trade charges other than those prescribed by rules or bye-laws made under this Act, in respect of any transaction of sale or purchase of the specified agricultural produce and no court shall, in any suit or proceeding arising out of any such transaction, allow in any claim or counter claim, any trade charges, which are not so prescribed.
- (2) All trade charges before the sale transaction shall be borne by seller and those incurred thereafter shall be payable by the purchaser.

Application of
certain
provisions
relating to
Markets Yards,
Sub markets

15. The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the official gazette, and in such other manner as may be prescribed, declare that the provisions of sub section (2) of section 7 and the provisions of section 8 shall also apply to the whole or any part of Market Area outside the Principal Market Yard, Sub

Yards and Private Markets Yards, to the remaining parts of Market Area

market Yard and Private Market Yard, as may be specified in the notification and thereupon the said provisions shall, with effect from the date specified in the notification apply accordingly , and the remaining provisions of the Act relating to a Principal Market Yards or Sub market Yards or Private Market Yards shall also, with effect from the same date, *mutatis mutandis* apply to the area so specified.

CHAPTER-III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE

Establishment of Market Committee and its Incorporation

16. (1) For every Market Area there shall be a Committee to be called the Market Committee which shall have jurisdiction over entire Market Area.
- (2) Every Market Committee shall be a body corporate by such name, as the State Government may, by notification, specify having perpetual succession and a common seal and shall sue and be said in its corporate name and shall, subject to such restriction as are imposed by or under this Act, be competent to contract and acquire, lease, sell or otherwise transfer any property and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.
- (3) Notwithstanding any thing for the time being in force, every market committee shall be deemed to be a local authority for the purposes of The Land Acquisition Act, 1894,(Act No. 1 of 1894) and any other law for the time being in force;

Provided that the Committee shall not transfer any immovable property except in accordance with a resolution duly passed in any of its meetings by a majority of not less than three- fourth of the total number of its members and with the previous approval in writing of the Board.

Constitution of the Committee

17. (1) The Committee, referred to in Section 16 shall consist of the following members to be nominated by the State Government in the manner as may be prescribed:-
- (a) one representative of urban local bodies, exercising jurisdiction over the Principal Market yard or Sub-Market Yard, or part of either and the market area or any of its part;
 - (b) one representative out of Zila Panchayat and one representative of Kshetra Panchayats exercising jurisdiction over the Principal Market Yard or Sub-Market Yard, or part of either and the market area or any of its part;
 - (c) one representative of the Co-operative Marketing Societies holding license for transacting business in the Market Area;
 - (d) one representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding license therefore under this Act;
 - (e) one representative of traders carrying on business in the Market Area and holding license therefore under this Act;
 - {(f) Twelve representatives of producers of Mandi Area in the specified Mandis of class "A" and eleven representatives of producers of Mandi area from other Mandis;}¹
 - (g) one person of the Market Area who shall represent the interest of consumers;
 - (h) two Government officials of whom one shall be a representative of the Trade Tax Department and the other of the Food and Civil Supplies Department;

- (i) Secretary of the Market Committee who shall be the member secretary.
- (2) Out of the persons nominated under clause (f) of sub-section (1):
 - (a) two members shall be residents of any of the Gram Panchayat exercising jurisdiction over any part of the Market Area;
 - (b) five members shall be producer seller in the Market Area who have obtained sale Vouchers in Form No. VI of last three years from the Committee, out of which one member shall be belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and the other from Other Backward Classes of citizen;
- (3) Every committee shall have a Chairman nominated by the State Government from amongst the members referred to in clause (f) of sub-section (1) and a Vice-Chairman nominated by the State Government from amongst the members of the committee.
- (4) (a) the term of the committee constituted under sub-section (1) shall be two years from the date of publication of the constitution of the committee under sub-section (6) if not terminated earlier by the State Government;
 - ²[(a 1) The Chairman, Vice Chairman and the members shall function on their respective posts during the pleasure of the Governor.
 - (a 2) The vacancies of the Chairman, Vice chairman and the members shall be filled according to the provisions of sub section (1), (3) of section 17 or sub section (2) of section 18 as the case may be.]
 - (b) the term of the office of the Chairman, the Vice-Chairman and the members shall be co-terminus with the committee;
 - (c) a non-official member shall cease to hold his office if he ceases to be a licensee of committee or otherwise ceases to work in the committee as trader or commission agent as the case may be.
- (5) The name of every member nominated under sub-section (1) shall be registered with the Managing Director within 21 days of the nomination.
- (6) The constitution of the committee constituted under sub-section (1) shall be notified in the Gazette by the Managing Director with the prior approval of the State Government.
- (7) The State Government, where it considers necessary or expedient so to do in public interest, may, by Notification, extend the term of the committee for a period not exceeding more than six months at a time but the total period of such extension shall not exceed one year.

 1- Substitution of section 2 of the Uttrakhand Act no 30 of 2016.

2- Inserted by section 2 of the Uttrakhand Act no 14 of 2018.

- (8) No proceeding or Act done by or on behalf of the committee shall be questioned on the ground that there was want of any qualifications or defect in the nomination of any person as Chairman, Vice-Chairman or member of the committee or on the ground of vacancy or defect in the constitution of the committee.
- Resignation of members and nomination in certain circumstances
- 18. (1) A member of the committee may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairman. The resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman with the prior approval of the Managing Director.
 - (2) The State Government may, by notification, nominate persons from the respective

category of members to fill the vacancies of the members who have resigned and the persons so nominated shall hold office for remainder of the term of the committee.

[***] 19. [***]¹

1- Repeal by section 3 of Utrakhand Act no 14 of 2018

Suspension of the Committee 20. Where the Managing Director, is satisfied that :-

- (a) any committee has willfully failed in the performance of its functions, or discharge of its duties, or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act or any other enactment;
- (b) continuance or the functioning of the committee is prejudicial to the maintenance of public order or to the maintenance of supplies and services of commodities essential to the community in the market area or its part or in the other market areas; and
- (c) it is necessary so to do, he may, after obtaining explanation from the committee, by order in writing suspend the functioning of the committee for a period up to six months.

Consequences of suspension 21. (1) Where a committee is suspended under Section 20, the Chairman, the Vice-Chairman and the members thereof shall be deemed to have vacated their respective office for the period of suspension and the powers, duties and functions of the Committee shall be exercised, discharged and performed by the District Magistrate, who may exercise, discharge or perform such powers, duties and functions either himself or through an officer, authorized by him who shall not be below the rank of the Deputy Collector.

(2) Where the circumstances so warrant the Managing Director may send its report for dissolution of the Committee to the State Government within three months from the date of its suspension.

(3) The Managing Director shall, forthwith report about suspension under Section 20 to the State Government and if no adverse direction or order is received by the Director from the State Government within 15 days, the suspension shall continue for the period directed in the first order otherwise he shall act according to the directions of the State Government in the matter.

Dissolution of committee 22. If, at any time the State Government is satisfied on the report of the Managing Director that any committee has made a willful default in the performance of any duty imposed upon it by or under this Act, or any other enactment or has exceeded or abused its powers, it may, after taking into consideration the explanation of the committee, by order, stating the reasons therefore, dissolve the committee by publication in the Official Gazette.

Explanation-1- 'Willful default' means a failure to perform duties of the committee, lack of willingness or its disinclination to perform that duty and such failure should not be the result of any accident or inadvertent

error.

Explanation 2- The purpose of stating reasons is to ensure that the reasons, which impelled the action, are genuine and relevant to the content and scope of the power vested in the State Government.

- | | | |
|--|-----|--|
| Consequences of dissolution | 23. | <p>On the dissolution of the committee -</p> <p>(1) All the members, including the Chairman and the Vice Chairman of the committee shall be deemed to have vacated their offices from the date of dissolution.</p> <p>(2) The Collector shall become the Administrator of the committee and shall either himself or through an officer not below the rank of Deputy Collector exercise, discharge and perform the powers, duties and functions of the committee till a new committee is constituted under Section 17.</p> |
| Constitution of First Committee or a new Committee | 24. | <p>(1) The State Government shall, by notification in the Gazette appoint all the members of the First Committee or of a new Committee mentioned in clause (b) of sub-section (2) of Section 12, including the Chairman and the Vice-Chairman from amongst the persons, who in the opinion of the State Government are suitable to represent the different interests referred to under in sub-section (1) of Section 17.</p> <p>(2) The term of the First Committee shall be one year from the date of its constitution under sub-section (1), but the State Government may, in the public interest, extend or further extend its term, so however that the extended or further extended term shall come to an end on the date of the constitution of the Committee under Section 17.</p> <p>(3) The term of the office of the members of the First Committee, including its Chairman and the Vice-Chairman, shall be for such period as may be fixed by the State Government in this behalf, but it shall not exceed the term of the First Committee.</p> |
| Filling up of Casual vacancies | 25. | <p>Where a vacancy occurs by reason of death, resignation or removal of a member, or for any other reason, it shall be filled in by a person belonging to the class, to which the person ceasing to be member belonged, by the State Government and the person so nominated or appointed, shall be a member for the remaining period of the term of the member in whose vacancy he has become a member;</p> <p style="text-align: center;">Provided that a vacancy for a period not exceeding six months may not be filled, if so ordered by the State Government.</p> |
| Functions and Duties of Committee | 26. | <p>(1) A Committee shall enforce the provisions of this Act, the rules and bye-laws made thereunder in the Market Area, provide such facilities for sale and purchase of notified agricultural produces therein, as may be specified in any directions given by the Board to the Committee from time to time or considered necessary by the Committee and do such other acts, as may be necessary for regulating sale and purchase and auction of notified agricultural produces in that market area, and for that purpose may exercise such powers and perform such duties and discharge such functions, as may be provided by or under this Act.</p> <p>(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained under sub section (1), the Committee shall-</p> |

- (i) ensure fair dealings between the producers and persons engaged in the sale and purchase of notified agriculture produces;
- (ii) ensure prompt payment to sellers in respect of notified agricultural produces sold by them in the Principal Market Yard or Sub market Yards;
- (iii) grade and standardize notified agricultural produces;
- (iv) check and verify Weights, Measures, Weighing and Measuring Instruments used in the Market Area and report infringement of the provisions of the Uttar Pradesh Weights and Measures (Enforcement) Act, 1959 (Uttar Pradesh Act No. 5 of 1959) (as applicable to the State of Uttarakhand) to the authorities concerned;
- (v) collect and disseminate all such information, as may be of advantage to the producers and other persons engaged in the sale or purchase of notified agricultural produce and, in particular, keep itself informed of the prevailing prices of such agricultural produce at places, where it can be profitably exported or from where it can be economically imported in the Market Area;
- (vi) standardize and regulate trade charges, market practices and customary methods of sale and purchase of notified agricultural produces;
- (vii) provide suitable amenities in the Principal Market Yard and Sub market Yards to the producers and persons engaged in the transactions of sale or purchase therein, and in particular, to construct, repair and maintain roads, pathways, market lanes and bye-lanes, shops, shelters, parking places, accommodation for storage, and such other amenities and facilities, as may be prescribed in this behalf;
- (viii) provide suitable facilities for the proper developments of "Hats" and "Painths" and collection centre in the Market Area and the persons engaged in the transactions of sale and purchase therein;
- (ix) to promote and encourage Electronic trading, Committee may establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto;
- (x) make arrangements for construction of Link- Roads, Pathways, Jeepable Roads, Rope-ways, Mule-Path, Pulia and Water Tanks and construction of Hand Pumps for drinking water in Market area, and repair and maintenance thereof;
- (xi) promote and undertake agricultural processing, including activity for value addition in agricultural produce;
- (xii) provide for the settlement of all disputes as Arbitrator between the licensees, and the licensee and other persons, engaged in sale or purchase in Principal Market Yard or Sub market Yard, arising out of any kind of transaction;
- (xiii) prepare the accounts in proper way, as prescribed and get them audited;
- (xiv) prepare the annual budget, wherein shall be shown the estimates of all advances, loans and grants for and the expenses to be incurred in the ensuing year, and wherein provision shall be made for the payment of interest on or repayment of, loans raised by it from or advances made to it, by the State Government, the Board or any financial institution. Including a Co-operative Bank, recognized as such by the State Government, by general or special order, (hereinafter referred to as a

recognized financial institution) and submit the same for approval to the Board;

- (xv) prepare plans and estimates for works proposed to be undertaken by it in the Principal Market Yard and Sub market Yards and for that purpose take necessary steps for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 01 of 1894);
 - (xvi) prosecute or defend any suit, action or proceedings in connection with its affairs, or for contravention of any of the provisions of this Act;
- (xvii) provide for safe custody and maintenance of its seal, account books and all other records;
- (xviii) control and regulate admission to and use of the Principal Market Yard and Sub market Yards;
- (xix) perform such other functions and duties, as may be prescribed by the Board or Managing Director;
- (xx) take all possible steps to prevent adulteration of the notified agricultural produce;
- (xxi) take measures for the prevention of purchases and sales below the minimum support prices, as fixed by the State Government from time to time;
- (xxii) regulate the entry of persons and vehicles, traffic into the Principal Market Yard and Sub market Yards, vested in the Market Committee,
- (xxiii) prosecute persons for violating the provisions of this Act, the rules and the bye-laws and compounding of such offences,
- (xxiv) recover the charges in respect of Weighmen and Hammals/Palladars and distribute the same to Weighmen and Hammals/Palledars, if not paid by the purchaser or seller, as the case may be,
- (xxv) with a view to maintain stability in the market :-
 - (a) provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to Agriculturist;
 - (b) provide packaging facilities for agricultural products on packaging charges.
- (xxvi) maintain the Manuals, as prescribed under clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22, of 2005), and keep them in the office for public inspection and the Manuals shall be updated by the 30th September every year; and
- (xxvii) publish and circulate, from time to time, the rates of agricultural produces, brought into the market area for sale, as prescribed.

Powers of the
Committee

27.

A Committee shall, for the purposes of this Act, have the following power; namely-

- (a) to issue or renew licenses under this Act, on such terms and conditions and subject to such restrictions, as may be prescribed, or, after recording reasons therefore, refuse to issue or renew any such license;
- (b) to suspend or cancel licenses, issued or renewed under this Act :

Provided that before canceling a license, the Committee shall afford a reasonable opportunity of hearing to him to show cause against the action proposed;

- (c) (i) to levy such fees, as may be prescribed for the issue or renewal of licenses; and
- (ii) to collect Market fees, which shall be payable on transaction of sale of specified agricultural produces in the Market area at such rates, being not less than one percent and not more than two and half percent of the price of the Agricultural produce so sold, as the State Government may specify by notification, and to levy and collect such Development cess at such rates being not less than ½ percent and not more than 2½ percent of the price of such deal. Such fee or development cess shall be realized in the following manner-
- (A) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realize the Market fee and Development cess from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;
- (B) if the produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the Market fee and Development cess to the Committee;
- (C) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the produce may realize Market fee and Development cess from the purchaser and shall be liable to pay it to the Committee :

Provided that if the purchaser is only license holder, then he shall be liable to pay Market fees and Development cess;

- (D) in any other case of sale of such produce, the purchaser shall be liable to pay the Market fee and Development cess to the Committee :

Provided that no Market fee or Development cess shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce, where such sale is made to the consumer for his domestic consumption only :

Provided further that the seller of the produce shall not be exempted from payment of Development cess on the ground that he has not recovered the same from the purchaser;

- [(iii) any such agricultural produce, which arrives in any Market area of the State for sale, storage, processing, manufacturing, transaction or other commercial purposes from any other State or out of Country for the first time it shall be registered as “Primary Arrival” and on such produce, Market fee and Development cess shall be payable;]¹
- [(iv) any agricultural produce, which is brought to any Market area within the State after the transaction of sale from any other Market area of the State after paying Market fee and Development cess for the purpose of for sale, storage, processing, manufacturing transaction or other commercial purpose’s, it shall be called as “ Secondary Arrival” and on such produce no Market fees and Development cess shall be liveable;]²
- [(v) any agricultural produce, which is brought to any Market area from outside Uttarakhand State for sale, storage, transaction or commercial purpose after paying Market fee and/ or Development cess than Market fees and Development cess shall be liveable on such produce :

Provided that brought to Market area from outside Uttarakhand State for processing or manufacturing purpose after paying Market fee and/ or Development cess from concerning State than it shall be called as “Other Secondary Arrival” and no Market fee shall be liveable however due Development cess shall be liveable;]³

- (d) to realize interest calculated in the manner prescribed in the bye-laws at the rate of two percent per mensem on the unpaid amount of Market fee, from the date immediately following the period prescribed for payment of market fee in the bye-laws;
- (e) to operate and utilize the Market Committee Fund for all or any of the purposes of this Act;
- (f) to raise, from the State Government or the Board or, subject to previous sanction by the Managing Director, from any other Committee or a recognized financial institution, moneys required for discharging of its functions under this Act;
- (g) to advance loans to the Board on such terms and conditions, as may be mutually agreed upon between the Board and the Committee;
- (h) to advance loans to any other Committee, subject to previous sanctions of the Managing Director, on such terms and conditions, as the Board may determine;
- (i) to exercise such other powers, as may be prescribed by the State Government from time to time;
- (j) if any person makes encroachments of any kind on market yard or sub market yard, then the secretary of the market committee or the Managing Director shall be competent to remove that encroachment by using force and the expenses incurred in removing that encroachment shall be recoverable from the encroacher as arrears of land revenue.

-
1. Substituted by the section 2 (1) of Uttarakhand Act No. 4 of 2013.
 2. Substituted by the section 2 (2) ibid.
 3. Added by section 2 (3) ibid.

Explanation:-- For the purpose of clause (c), unless the contrary is proved, any specified Agricultural produce, taken out or proposed to be taken out of a Market area by or on behalf of a licensed trader, shall be presumed to have been sold within such area and in such case, the price of such produce presumed to be sold shall be deemed to be such reasonable price, as may be ascertained in the manner prescribed.

Appeal

28. (1) Subject to the rules made under this Act in this behalf, any person aggrieved by an order passed by a Committee under section 27 may, within thirty days from such order, prefer an appeal to the Managing Director in such manner, as may be prescribed, and the Managing Director shall decide it after giving an opportunity of hearing both to the appellant and to the Committee.
- (2) The Managing Director may admit the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented from presenting the appeal within the prescribed period due to reasonable grounds.
- (3) The Managing Director shall hear the appeal after following such procedure, as may be prescribed and may confirm, modify or set aside the order appealed against.
- (4) The Managing Director, on application of the appellant in this behalf may stay

the operation of the order against which appeal has been filed and stay the recovery of Market fees or the fine, imposed after obtaining adequate security from the appellant.

- (5) The order of the Managing Director passed in appeal shall be final and shall not be called in question in any court.

Annual returns and Imposition of fees

29. (1) Every whole seller, commission agent and any licensee shall submit, before 31st March of every Financial Year, to the Mandi Samiti, the return of sale and purchase done in the preceding Financial year by it or through it, of the modified agricultural produce in such form and in such manner, as specified in the bye-laws.
- (2) If in the opinion of the Committee, the information furnished under sub section (1) is not correct or the amount deposited is less than the payable Market fees, then the Committee can, after giving the reasonable opportunity of hearing to such wholesaler or commission agent, impose Market fees in such manner as may be prescribed.

Contracts on behalf of the Committee

30. (1) Every contract by or on behalf of any Committee shall be executed in the manner prescribed.
- (2) Any contract, executed by or on behalf of a Committee in violation of the provisions of sub section (1), shall not be binding on such Committee.
- (3) Every order of a Committee shall be certified by the signature of the Chairman or in his absence or disability by the Vice-Chairman or by the Secretary of the Committee in case he has been so authorized and shall be authenticated by the official seal of the Committee.

Market Committee Fund and its Utilization

31. (1) There shall be established for each Committee, a fund, which shall be called "Market Committee Fund" to which shall be credited all moneys, received by it including all loans, raised by it, advances and grants made to it.
- (2) All expenditure incurred by the Committee in carrying out the purposes of this Act, shall be defrayed out of the said fund, and the surplus, if any, shall be invested in such manner, as may be prescribed.
- (3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in clause (e) of section 27, the Committee may utilize its funds for payment of all or any of the following-
- (a) expenses, incurred in auditing the accounts of the Committee;
 - (b) salaries and allowances including allowances for leave, gratuities, compassionate allowance, medical aid and contribution towards provident fund of the officers and employees, appointed by the market committee;
 - (c) expenses of and incidental to elections under this Act;
 - (d) the principal amount of or interest on loans and advances referred to in clause (xiv) of sub- section (2) of section 26;
 - (e) the rent of and taxes on any land and building in possession of the Committee;
 - (f) traveling allowance of the members of the Committee;
 - (g) cost of land or buildings, acquired for the purposes of this Act;

- (h) cost of maintenance, development and improvement of the Market Yards;
- (i) expenses in providing facilities and comforts such as shelter, shed, parking accommodation and water and other amenities for persons, draught-cattle, pack animals and vehicles coming to the Market Area and on agricultural improvement and development of agricultural marketing in the Market Area, including the construction, maintenance and repair of Link Roads, Culverts, Bridges and other such purposes;
- (j) loans and advances to the employees of the Committee;
- (k) expenses for providing facilities like grading, standardization, quality certification services to the agriculturists in the Market Area;
- (l) expenses on research of agricultural produce processing and marketing; and
- (m) such other expenses, as may be prescribed by the Board or the State Government;

Provided that the Marketing Committee shall spent compulsorily 2 % of the annual income of Market fee according to the provisions of clause (1) of above sub-section (3).

- (4) Every market committee shall, out of its net income (Mandi fee + License fee) of the financial year, pay to the Board as contribution, as the State Government may, by notification, declare from time to time.
- (5) Every Market Committee shall have to pay every month the whole amount of the Development Fund, which it has collected, to the Board, which shall be deposited in the "Kendriya Mandi Fund", as prescribed under section 62.

Priorities of
Liabilities of
the Committee

32. The revenues of a Committee, shall, after meeting its operating, maintenance and management expenses, be applied as far as these are available, in the following order; namely -
- (a) the repayment of principal amount of, and interest thereon loans, taken without guarantee from the State Government;
 - (b) the repayment of principal amount of, and interest thereon, sums paid by the State Government under guarantees if any, to that Government;
 - (c) the repayment of principal amount of, and interest on loans guaranteed by the State Government;
 - (d) the repayment of principal amount, and interest thereon of the loans, which are not guaranteed by the State Government;
 - (e) the balance remaining shall be utilized for the reduction of fees payable to the Committee under this Act or for expenses incurred in the discharge of any of the functions of the Committee, as the Committee may think fit or the Managing Director may direct.

Recovery of
sums due to
Committee as
arrears of Land
Revenue and
power to write
off Irrecove-
rable dues

33. (1) Any amount due to the Committee, if not paid within the prescribed period, may be recovered as arrears of land revenue.
- (2) A Committee may write-off any amount due to it, if it is certified by the Collector to be irrecoverable;

Provided that the amount exceeding Rs. Five thousand shall not be written off without the prior approval of the Managing Director.

Surcharge

34. (1) The Chairman, Vice-Chairman and every member, officer and servant of the

Committee shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Committee, if such a loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as Chairman, Vice-Chairman, member, Officer or servant.

- (2) The procedure of surcharge and the manner of the recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such, as may be prescribed.
- (3) No suit shall lie in any court for the recovery of any sum which can be recovered in the manner prescribed under sub-section (2).

CHAPTER-IV

OFFICER AND SERVANT OF THE COMMITTEE

- | | | |
|---|-----|---|
| Powers and Duties of the Chairman and the Vice-Chairman | 35. | <ol style="list-style-type: none">(1) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall, subject to the provisions of this Act and the rules and the bye-laws made thereunder and the resolutions, if any, of the Committee, exercise superintendence and control over the Officers and servants of the Committee and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or delegated to him by the Committee, by the resolution passed by it, in this behalf.(2) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Committee. In the absence of both, any other member chosen by the members present in a meeting shall preside at that meeting. |
| Appointments of the officers and the servants of the Market Committee and the conditions of their service | 36. | <ol style="list-style-type: none">(1) The Managing Director shall appoint as prescribed, such other officers and servants as may be necessary and proper for the functioning of the Market Committees :
<p style="margin-left: 40px;">Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the State Government.</p>(2) Every Committee shall have one Secretary and such other officers, as may be considered necessary by the Managing Director for the efficient discharge of the functions of the Committee who shall be appointed by the Board on such terms and conditions, as may be provided for in the regulations made by it. |
| Constitution of Centralized Service and transfer of employees | 37. | <p>Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the Board may constitute cadres of secretaries and such other officers common to all Committees, as it may deem fit to appoint under sub section (2) of section 36.</p> |
| Functions, Powers and Duties of the Secretary | 38. | <ol style="list-style-type: none">(1) The Secretary of the Committee shall be its Chief Executive Officer and shall, subject to the provisions of this Act, perform such functions, exercise such powers, and discharge such duties, as may be prescribed, or provided in the bye-laws or as the Managing Director, may, by order in writing direct :
<p style="margin-left: 40px;">Provided that when more than one Secretary are posted in a Committee, the Managing Director shall nominate one of the Secretaries to be its Chief Executive Officer and shall determine the functions to be performed, powers to be exercised and duties to be discharged by each of them.</p>(2) Without prejudice to the generality of the forgoing provisions, but subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder, the Secretary shall- |

- (a) exercise all powers of superintendence and control over-
 - (i) all Officers and servants of the Committee so as to ensure proper and efficient discharge of the duties, assigned to them by or under this Act, and
 - (ii) all affairs of the Committee;
- (b) report cases of neglect, misconduct or dereliction of duty by an employee of the Committee to the Appointing Authority for necessary action, and where so empowered, take disciplinary action against any of the employees of the Committee;
- (c) ensure proper execution of all orders, issued by the Board, Managing Director or the Chairman of the Committee;
- (d) ensure proper maintenance of-
 - (i) accounts of all moneys received and of all moneys spent for and on behalf of the Committee;
 - (ii) records of disputes coming up for decision under this Act or the rules or bye-laws framed thereunder;
 - (iii) record of the disputes, settled by him in such form, as may be prescribed; and,
 - (iv) all licenses under this Act shall be issued under his signatures;
- (e) convene the meetings of the Market Committee, if necessary, and maintain minutes of the proceedings thereof,
- (f) attend all meetings of the Market Committee and take part in the discussions, but shall not move any resolution or vote at any such meeting;
- (g) prepare the budget proposals;
- (h) furnish to the Market Committee such Returns, Statements, Estimates, Statistics and Reports as the Market Committee may, from time to time, require, which includes reports-
 - (a) regarding the fines and penalties, levied on and any disciplinary action taken against the members of the staff and the Market functionaries and others;
 - (b) regarding contravention of the provision of Act or the rules or the bye-laws made thereunder;
- (i) produce before the Committee such Documents, Books, Registers and the likes, as may be necessary;
- (j) collect fees and other money leviable by or due to the Market Committee;
- (k) make disbursements of all moneys, lawfully payable by the Market Committee, as per rules;
- (l) prosecutions to be launched, file civil suits and defend those filed against the Committee and represent the Committee in all such proceedings, on behalf of the Committee;
- (m) exercise supervision and control over all officers and servants of the Committee;
- (n) report to the Managing Director, as soon as possible, in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee fund or property.

Terms and Conditions of Employment of Officers and Servants of the Committees 39. Subject to the rules made in this behalf under this Act, the terms and conditions of employment of the members of a cadre, constituted under section 30 and matters relating to discipline, control and punishment which also includes dismissal, removal or reduction in rank, of such officers shall be governed by such regulations, as may be made with the prior approval of the State Government in view of section 68 by the Board.

Protection of persons acting under this Act 40. Every officer or servant of the Board and the Committee shall be deemed to be a 'Public Servant' within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

CHAPTER-V

CLASSIFICATION OF MARKET AND SPECIAL MARKET

Classification of market 41. State Government may classify the market constituted under Section 5, in to various categories on the basis of the criteria as may be prescribed.

Special Market and Special Commodity Market 42. (1) State Government may by notification declare any market area as 'Special Market' or 'Special Commodity Market' after consideration of such aspects as turnover, serving large area and special infrastructure requirements of particular commodity, to be operated in addition to the existing market.
 (2) The State Government may by notification, establish separate Market Committee for effective implementation of provisions of this Act for such markets which are notified as special market under sub-section (1).
 (3) All provisions for and in relation to the Market Committee made in this Act shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee established for the special market under sub-section (1).

Constitution of Market Committee for Special market 43. (1) Every Market Committee for special market shall consist of following members namely :

- (a) agriculturists (to be nominated by the State Government from amongst the agriculturists residing permanently and operating in the Committee area) - Five
- (b) traders (to be nominated by the State Government from amongst the traders holding trading licence in any Market Committees in the State). Out of the traders so nominated, shall hold the licence from the Market Committee of Special Market; - Two
- (c) concerned Local Body of the area where the Special Market is located; - One
- (d) the Collector or his nominee of the District in which Special Market is located;** - Two
- (e) representative of Chief Town Planner or the authority exercising such powers; - One
- (f) concerned Assistant Registrar of Cooperative Societies; - One
- (g) Chief Executive Officer (or his nominee) of the State Agricultural Marketing Board (ex- officio Member) - One
- (h) Executive Member (to be appointed by the State Government) Executive member shall Act as the Chief Executive Officer of the Market Committee - One
- (i) Agricultural Marketing Advisor to the Government of India or his nominee -One.

- (2) The Market Committee shall meet at least once in six months.
- Chairman and Vice- Chairman for Special market 44. The Market Committee, for Special Market shall have Chairman and Vice-chairman who may be nominated by the State Government for such period as may be specified. The members shall hold office during the pleasure of the State Government.
- Executive Committee for Special Market 45. (1) There shall be Executive Committee of the Market Committee of the Special Market consisting of :--
- (a) one representative of the traders holding the trading license in the Market Committee of Special Market;
 - (b) one representative of growers;
 - (c) one Representative of the Registrar of cooperative societies;
 - (d) Director of Marketing or his nominee;
 - (e) Chief Executive Officer (or his nominee) of the State Agricultural Marketing Board;
 - (f) Executive Member of the Market Committee who shall Act as the Member-Secretary of the Executive committee.
- (2) In case of emergency, the Executive Committee may decide issues requiring approval of the Market Committee; However, such decisions shall have to be approved by the Market Committee within 45 days from the date, such decisions have been taken. Failure in doing so or in the event of disapproval of such decisions by the Market Committee, such decisions shall stand null and void.
- (3) The Executive Committee will meet as often as necessary, but at least once in two months.
- Chief Executive of the Market Committee of Special Market, Functions and powers 46. Executive member of the Market Committee shall Act as the Chief Executive Officer of the Market Committee of the Special Market. The Chief Executive officer shall :-
- (a) exercise supervision and control over the officers and staff of the Market Committee in matters of executive administration concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the services of the officers and staff of the Market Committee as per the prescribed procedure;
 - (b) appoint officers and staff of the Market Committee as per direction and procedure prescribed by the Market Committee;
 - (c) incur expenditure from the Market Committee fund for the sanctioned items of work;
 - (d) in cases of emergency, direct the execution of stoppage of any work and doing of any Act which requires the sanction of the Market Committee;
 - (e) launch prosecution for violation of provision of this Act and rules and by-laws made thereof;
 - (f) issue licences to the functionaries operating in the market;
 - (g) prepare Annual budget of the Market Committee;
 - (h) arrange for summoning the meetings of the Market Committee and maintenance of records of the proceedings of such meetings;
 - (i) inspect from time to time the construction work under taken by the Market Committee and send report of such inspection to the Chairman of the Market

Committee;

- (j) report such acts of the Market Committee or members of the Market Committee including the Chairman and Vice-chairman which are contrary to the provisions of this Act and Rules and by-laws framed thereof to the Managing Director;
- (k) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions and decisions of the Market Committee.

CHAPTER-VI CONSTITUTION, FUNCTIONS AND POWERS OF UTTARAKHAND AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING BOARD

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| Establishment
of the Board | 47. | <p>(1) The State Government shall, by notification in the official gazette, and with effect from a date to be specified therein, constitute a Board by the name of the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing Board which shall have its headquarter at Rudrapur (Uddham Singh Nagar).</p> <p>(2) The Board shall be a body corporate by the said name having perpetual succession and a common seal and shall sue or be sued by the said name and acquire, hold and dispose of property and enter into contracts.</p> <p>(3) The Board shall, for all purposes, be deemed to be a local authority.</p> |
| Constitution
of the Board | 48. | <p>The Chairman and members of the Board shall be appointed by the State Government as follows –</p> <p>(a) Chairman - Agriculture Minister of the state or a person appointed by the State Government under special circumstances;</p> <p>{(aa) Vice-chairman- the State Government may nominate a Vice-chairman in the marketing Board from amongst the members nominated in the board.}¹</p> <p>(b) Member - maximum five persons out of the nominated producers, one member out of the nominated traders, one member out of nominated commission agents as member of the Market Committee and maximum five representatives, appointed by the State Government, each one of whom shall represent the following five fields-</p> <ul style="list-style-type: none">(i) one representative from Private market;(ii) one representative from Agriculture Insurance field;(iii) one representative from Exporters;(iv) one representative from specialized Agri-business Management;(v) one representative from Contract farming sponsors; <p>(c) Ex-Officio members –</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Principal Secretary and Commissioner, Forest and Rural Development, who shall, in the absence of Chairman, preside over the meeting of the Board,(ii) Secretary, Agriculture,(iii) Secretary, Finance,(iv) Secretary, Food and Civil supply(v) Secretary, Horticulture,(vi) Secretary, Animal Husbandry(vii) Secretary, Cooperatives |

- (viii) the Agriculture Marketing Advisor to Government to India,
 - (ix) the Managing Director of the Board, who shall be *ex-officio* secretary of the Board,
 - (x) Director, Agriculture,
 - (xi) Director, Horticulture,
 - (xii) Registrar, Co-operative societies, Uttarakhand,
- (d) One-third of the total members shall constitute a quorum of the meeting.

 1- Inserted by section 3 of the Utrakhand Act no 14 of 2015.

- | | | |
|---|-----|---|
| Disqualificati
on for being
Chairman,
and other
Members | 49. | <p>A person shall be disqualified for being the Chairman or other member of the Board, if he-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) has been convicted of an offence involving moral turpitude; (b) is an undischarged insolvent; (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; (d) holds any office of the profit under the Board or Market Committee; (e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment, with, by or on behalf of the Board; or (f) is a Director or Secretary, Manager or other officer of any such company, which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board. |
| Term of
Office of
Chairman and
Other
Members | 50. | <p>(1) Subject to the provisions of sub section (2), the Chairman and other members of the Board who are not <i>ex-officio</i> members thereof, shall hold office for two years unless the term of the Chairman or such other member is determined earlier by the State Government by notification in the gazette, and they shall be eligible for reappointment.</p> <p>(2) A member, nominated as a member of the Board, shall cease to be a member of Board as soon as he ceases to be such member of the Market Committee.</p> <p>(3) The Chairman or any other member, who does not remain <i>an ex-officio</i> member, may, at any time by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.</p> |
| Other
provisions
regarding
office the
Chairman and
Members
Other than Ex-
Officio
Members | 51. | <p>(1) The Chairman and other members, not being <i>ex-officio</i> members, shall be paid from the Board's fund such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.</p> <p>(2) If the Chairman or any other member, as aforesaid, is, by infirmity or otherwise, rendered temporarily incapable of discharging his functions or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to discharge his functions under this Act.</p> |

Appointment of Officers and Servants	52.	<p>(1) The Board may appoint such officers and servants as it considers necessary for efficient performance of its functions, on such terms and conditions, as may be provided for in regulations made by the Board with the prior approval of the State Government.</p> <p>(2) The Board may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an officer or servant of the Board or of a Committee on such terms and conditions as it thinks fit.</p>
Supervision and control of the Managing Director	53.	Subject to the superintendence of the Board, the general control and direction over all the officers and servants of the Board shall vest in the Managing Director.
.....		
Authentication of the Orders and other Instruments of the Board	54.	All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman and the <i>ex-officio</i> Member-Secretary and all orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized in this behalf by regulations.
Disqualification for participation in the proceedings of the Board on account of Interest	55.	<p>(1) The Chairman or any other member of the Board :-</p> <p>(a) who has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of section 49 in respect of any matter, or</p> <p>(b) who has acted professionally, in relation to any matter, on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid, shall notwithstanding anything contained in this section, not vote or take part in any proceedings of the Board relating to such matter.</p> <p>(2) If any member of the Board has directly or indirectly, any interest in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any such meeting of the Board in which any matter relating to such land is being considered.</p> <p>(3) Nothing in sub section (1) or sub section (2) shall prevent any member of the Board from voting on, or taking part in discussion, any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to in those sub sections.</p>
Acts not to be invalid-dated by informality, vacancy etc	56.	<p>No act done or proceeding taken under this Act by the Board shall be invalid merely on the ground that --</p> <p>(a) there is any vacancy or defect in the constitution of the Board; or</p> <p>(b) there is any defect or irregularity in the appointment of a person, who is acting as a member thereof; or</p> <p>(c) there is any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the substance.</p>
Directions on questions of Policy	57.	<p>(1) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions on questions of policy, as may be given to it by the State Government.</p> <p>(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub section (1), the decision of the State Government shall be final.</p>
{Power of the State Government	57A	The State Government time to time may, by notification, direct to the Mandi Board to discharge the functions other than those mentioned in the provisions of the Act.

to direct

The Market Committees of the State may themselves work up to 3.0 lacs on the basis of Mastrol like State Local Bodies, MLA/MP fund and District Panchayats. }¹

.....
1- Inserted by section 2 of Utrakhand Act no 08 of 2016.

Annual
Reports,
Statistics,
Returns and
Other
Information's

58. (1) The Board shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislative Assembly as soon as may be after it is received by the State Government.
- (2) The Board shall furnish to the State Government at such times and in such manner as the State Government may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Board or any other matter under the control of the Board as the State Government may from time to time require.

Execution and
registration of
Contracts etc.

59. Every contract or transfer deed of property on behalf of the Board shall be in writing and shall be executed by such authority and in such manner, as may be provided by regulations.

Board Fund

60. (1) The Board shall have its own fund, which shall be deemed to be local fund and to which shall be credited all moneys, received by or on behalf of the Board, except the moneys required to be credited in the Uttarakhand Marketing Development Fund under section 61.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of this Act relating to the purpose and the manner of investment and disposal, the fund referred to in sub section (1) shall be utilized by the Board for the following purposes, namely:-
- (a) payment of salary, leave allowance, gratuity, other allowances, loans and advances and provident fund to the officers and servants, employed by the Board and pension and the other contribution to the Government servants, on deputation;
 - (b) payment of traveling and other allowances to the members of the Board;
 - (c) other purposes relating to the establishment of the Board or for carrying out the purposes of this Act generally;
 - (d) payment of legal expenses of Board.

Uttarakhand
Marketing
Development
Fund

61. (1) There shall be established for the Board, a separate Fund, to be called “the Uttarakhand Marketing Development Fund”, to which the following amounts shall be credited; namely-
- (a) all contributions, received from the Committees under sub-section (4) of section 31, except such percentage thereof, as the state Government may direct to be credited to the Board's fund;
 - (b) such other amounts, as the State Government or the Board may direct.
- (2) The fund established under sub section (1) shall, subject to the provisions of this Act, be utilized by the Board for the following purposes; namely-
- (a) facilities to the Agriculturists, other producers and payers of Market fee in the Market Area;
 - (b) development of Principal Markets Yards, Sub market Yards, Hats and Painths, Collection Centers and Construction of Rope-ways and Construction of New Market Yards in the Market area;
 - (c) construction, maintenance and repairs of Link Roads, Market Lanes, Rope-Ways, Hand-Pumps and Tanks and other development works in the Market area;
 - (d) market survey and research, grading and standardization of specified agricultural produce;
 - (e) propaganda, publicity and extension services and the matters relating to the general improvement of the conditions of buying and selling of specified agricultural produce;
 - (f) aid to financially weak and under-developed committees in the form of loans and grants;
 - (g) better development of market areas and control of Market Committees;
 - (h) technical assistance to the Market Committees in the preparation of site plans and estimates of construction and in the preparation of project reports of master plans for development of Principal Market Yards and Sub market Yards and Market areas;
 - (i) matters specified in section 26 and 27, which are not covered by the preceding clauses;
 - [(j) any other purpose, to give effect to the provisions of this Act or generally to regulate marketing of specified agricultural produce;

Provided that to construct link roads and lanes and maintenance thereof, maximum of 50 percent of this fund shall be spent.]¹

- Kendriya Mandi Fund
62. (1) There shall be established a fund to be called "Kendriya Mandi Fund", which will be operated by the Managing Director and in which the following amounts shall be credited; namely-
- (a) all amount of Development cess received from the Mandi Samities under sub section (5) of section 31;
 - (b) such other amounts, as the State Government or the Board may direct.
- (2) The Kendriya Mandi Fund be utilized for the following purposes, namely-
- (a) aid to financially weak and under developed Committees in the form of loans and grants;
 - (b) development works in the hilly areas;
 - (c) expenditure involved on the value addition and processing of agriculture produce;
 - (d) any other purposes, as per the direction of the State Government or the Board.
- Restriction on Unbudgeted Expenditure
63. (1) Save wherein the opinion of the Board circumstances of extreme urgency have arisen, no sum exceeding such amount, as the Board may from time to time, fix in that behalf on account of recurring or non-recurring expenditure, shall be spent in any Financial Year unless sum has been sanctioned by the Board.
- (2) Where any such sum is spent in circumstances of extreme urgency, a report thereon, indicating the expenditure, shall be submitted to the Board in its next meeting.
- Power of Board to borrow
64. (1) The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stock or other wise or by making arrangement with bankers.
- (2) The Board may not, at any time, have on loan under sub-section (1), apart from the amount of loans from the State Government, an amount exceeding such amount as the State Government may from time to time fix in that behalf.
- (3) Stock issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner, as the State Government may, by general or special order, direct.
- Priorities of liabilities of
65. The revenues of the Board shall, after making its complete expenses, as far as

the Board

they are available, in the following order; namely-

- (a) the repayment of principal amount of, and interest on loans advanced to the Board by the State Government, including arrears of such interest;
- (b) the repayment of principal amount of, and interest on, sums paid by the State Government under guarantees, if any;
- (c) the repayment of principal amount of, and interest on bonds, guaranteed by the State Government;
- (d) the repayment of principal amount of, and interest on stock so guaranteed;
- (e) the repayment of principal amount of and interest on stocks, not guaranteed by the State Government;
- (f) the repayment of principal amount of and interest on bonds, not guaranteed by the State Government.

Accounts and Audit

- 66.
- (1) The Board shall, before the commencement of any financial year at any time during a financial year, prepare a statement or supplementary statement, as the case may be, of programmes of its activities during that year as well as financial estimates in respect thereof and submit them to the State Government for its prior approval in such manner and by such dates, as it may, by general or special order, direct.
 - (2) The Board shall cause to be maintained proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the annual balance-sheet.
 - (3) The accounts of the Board shall be audited by such auditor, as the State Government may, by general or special order, direct and the auditor so appointed shall have power of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting all matters.
 - (4) The accounts of the Board, as certified by the auditor, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government, which may issue such directions to the Board in respect thereof, as it may deem fit, and the Board shall comply with such directions.
 - (5) The State Government shall -
 - (a) cause the accounts of the Board, together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4), to be laid annually before the State legislative Assembly, and
 - (b) cause the accounts of the Board to be published in such manner, as it thinks fit.

Surcharge

- 67.
- (1) The Chairman and other members, officers and servants of the Board shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Board, if such loss, waste or misapplication is direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman or other member, Officer or servant.
 - (2) The procedure of surcharge shall be such, as may be prescribed.
 - (3) Any amount, found to be involved in such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge, shall be recoverable as arrears of land revenue, and no suit shall be instituted in any civil court for the recovery of any such amount.

(4) Nothing in sub-section (3) shall prevent from deducting any amount referred to therein from any sum payable on account of remuneration or otherwise to such Chairman or other member, officer or servant.

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| Regulations | 68. | The Board may, with the previous approval of the State Government, make regulations, which are not inconsistent with this Act and Rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Board. |
| Powers of the Board | 69. | <p>The Board shall, subject to the provisions of this Act perform the following functions and shall have power to do such thing as may be necessary or expedient or carrying out these functions :-</p> <ul style="list-style-type: none">(i) coordination of the working of the Market Committees and other affairs thereof, including programs undertaken by such Market Committees for the Development of Markets and Market Areas;(ii) undertake the State level planning of the development of Agricultural Produce Markets;(iii) to make the necessary policies with a view to ensure efficiency in the working of Mandi Samiti;(iv) to make regulations, consistent with this Act and Rules made thereunder, for Marketing affairs;(v) to approve proposals for selection of new sites by the Market Committees for the development of Market;(vi) to approve proposal for constructing infrastructural facilities in the Market Area;(vii) to supervise and guide the Market Committee in the preparation of plans and estimates of construction programme, undertaken by the Market Committee;(viii) to supervise all works, which are chargeable to the Board's fund;(ix) to publish annually at the close of the year, its progress report, balance sheet, and statement of assets and liabilities and send copies to each member of the Board as well as to the State Government;(x) to make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulated marketing of agricultural produce;(xi) to provide facilities for the training of officers and servants of the Board as well as Market Committee;(xii) to prepare and adopt budget for the ensuing year;(xiii) to make subventions and loans to Market Committees for the purposes of this Act, on such terms and conditions as the Board may determine;(xiv) to do such other things as may be of general interest to Market Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board, as may be specified from time to time by the State Government;(xv) to arrange or organize seminars, workshops, exhibitions for encouragement of marketing of Agricultural Products;(xvi) to establish and promote partnership between private and public sectors in the management of Market Committees;(xvii) to carry out and promote value addition alongwith agri-processing activities; |

- (xviii) to establish separate business expansion chambers for trading, technology and expansion of services and transfer thereof and carryout necessary management for regulated Marketing and development of Marketing and publicity of allied matters;
- (xix) to promote and encourage Electronic trading, establish regulatory procedure of Market Committee infrastructure and allied activities and carryout necessary steps; and
- (xx) to consolidate, gradation and standardization of notified agricultural produce.

Delegation of powers	70.	Subject to the provisions of this Act, the Board may, by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the order, to the Managing Director or any other officer of the Board, such of its powers and duties under this Act, as it may deem fit.
Conduct of the meetings of the Board	71.	<ul style="list-style-type: none"> a. The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such place, date and time, as the Chairman may determine. b. The information regarding the meeting of the Board shall be sent to all members of the Board before one week of the date of said meeting. c. In special circumstances, approval of at least one-fourth members shall be obtained on any particular proposal by way of circulation. d. One-fourth of the total members shall constitute a quorum in a meeting called in special circumstances.
Powers of the Chairman	72.	<p>The Chairman of the Board shall be having following powers; namely-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) to preside meetings of the Board; (ii) to determine the date, time and place of the meeting; (iii) to sign the minutes of the Board jointly with the Managing Director; and (iv) to direct the Managing Director for efficient working of Committees and Board within the provisions of this Act.
Powers and Duties of the Managing Director	73.	<ul style="list-style-type: none"> (1) Subject to the provisions of this Act, the Managing Director shall have the general superintendence, and control over the Market Committee and its Chairman, Vice-Chairman and other members, its Secretary and other officers or shall issue directions to them. (2) The Managing Director may inspect, or cause to be inspected, all documents or records relating to the affairs of the Committee and, require the Committee, its Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers or Servants to furnish such information or material, as he may consider necessary. (3) On receipt of a complaint in respect of an act relating to the affairs of the Committee, the State Government may require the Managing Director to conduct enquiry or institute proceedings against the Committee, its Chairman, Vice-Chairman, member or officer, and the Managing Director shall act accordingly. (4) The Managing Director shall, for the purpose of holding any enquiry under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters, namely-

- (a) issuing the summon and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents.
- (5) The Managing Director shall exercise supervision and control over officers and staff of the Board in matters of administration, concerning accounts and records and shall dispose off all questions relating to the service of the employees, as per procedure prescribed.
- (6) The Managing Director shall appoint officers and staff as per direction and procedure prescribed by the Board.
- (7) The Managing Director may incur expenditure from the “Uttarakhand Marketing Development Fund” and “Kendriya Mandi Fund” on the sanctioned items of work.
- (8) In case of emergency he may, direct the executions or stoppage of any work and may do any such act, which requires the sanction of the Board.
- (9) He shall get prepared annual budget of the Board.
- (10) He shall arrange for the internal audit of the accounts of the Board.
- (11) He shall arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board, as per prescribed procedure.
- (12) He may take lawful steps for implementation of the decision of the Board.
- (13) He shall issue the financial and administrative sanctions of the works sanctioned from Board Fund, Mandi Development Fund and Kendriya Mandi Fund and inspect the works.
- (14) The Managing Director shall promptly, about the resolutions passed/acts done by the Board or market committee against the provisions of this Act, Rules and by-laws made thereunder, to the Government and shall stop such resolutions/works till the directions of the Government are obtained.
- (15) The Managing Director shall have power to sanction or reject the proposals, passed by the Marketing Committee.
- (16) The Managing Director shall take such steps, as deemed necessary, for effective discharge of the functions of the Board.
- (17) The Managing Director may take effective action in any other matter, as are prescribed.

Power of the Board to remove the Member of the Committee

74. (1) The Board may remove a member, Chairman or Vice Chairman of the Committee, where it is of the opinion that he -
- (a) has been guilty of misconduct or gross negligence of duty as such member, Chairman or Vice-Chairman; or
 - (b) ceases to hold the qualifications necessary for his being a member, Chairman or Vice-Chairman.
- (2) No order of removal under sub-section (1) shall be passed unless the person concerned has been afforded a reasonable opportunity of submitting a written explanation in respect to the charges against him.

Suppression of

75. Where the Board is of opinion that a Committee has failed in the performance

Committee of its functions or discharge of its duties, or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, it may, by notification in the gazette, supersede the Committee :

Provided that no order of suppression shall be passed unless the Board has afforded a reasonable opportunity to the Committee of submitting a written explanation in respect to the charges against it.

Consequences of suppression

76. (1) From the date of publication of the notification of suppression of the Committee under section 75, all the members, including the Chairman and the Vice-Chairman, or the Committee shall be deemed to have vacated their offices.
- (2) The State Government shall direct that steps be taken for constitution of a new Committee under section 17, and till such time, as a new Committee under section 17 is constituted as aforesaid, the Board shall make such arrangements for carrying out the functions of the Committee, as it may deem fit, and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Committee, and its Chairman under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority, as the Board may appoint in this behalf, and such person or authority shall be deemed to be Chairman of the Committee, or as the case may be.

Powers of the Managing Director to Prohibit Execution or Further Execution of Resolution passed or Order made by the Committee

77. (1) The Managing Director may, of its own motion, or on report or complaint received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed, or order made, by the Committee or its Chairman or any of its officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to the public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any Market Area, Principal Market Yard or Sub market Yard or is against the provisions of this Act or the rules or bye-laws made there under.
- (2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub section (1) and that is continuing in force, it shall be the duty of the Committee, if so required by the Managing Director, to take any action, which the Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

Powers of the State Government

78. (1) The State Government, with a view to satisfying itself that the powers, functions and duties of the Board or a Committee by or under this Act are exercised or performed by it properly, may require the Commissioner or the Collector or any other person or persons to inspect or cause to be inspected any property, office, document or any work, of the Board or the Committee or to make inquiries into all or any of the activities of the Board or the Committee in such manner as may be prescribed and to report to it the result of such inquiry within such period as may be prescribed.
- (2) The Board or the Committee, as the case may be, shall give to the Commissioner or the Collector, or other person or persons, all facilities during inspection and for the proper conduct of the inquiry and shall produce any document or information, which is in its possession, when so demanded for the purpose of such inspections or inquiry, as the case may be.

Form of
Contract
Farming
Agreement

79. The Contract farming shall not be performed unless :-
- (a) contract farming buyer has registered himself in that Market Committee, where the land of contract farming producer is situated or has registered himself with the Prescribed Authority, if the land of contract farming producers is situated in more than one market area;
 - (b) the Contract Farming Agreement shall be registered with that Market Committee or Prescribed Authority, as the case may be, in accordance with such procedure as may be prescribed. It shall be in such form containing such particular and terms and conditions, as may be prescribed.

Notwithstanding anything contained in Contract Farming Agreement, title or possession or ownership of contract farming producer on his land under contract farming will not be transferred to contract farming buyer or to any other person;
 - (c) if any dispute arises between the parties in respect of the provisions of the agreement, either of the parties may submit an application to the Prescribed Authority to arbitrate upon the disputes. The Prescribed Authority shall resolve the dispute within 30 days after giving the parties a reasonable opportunity of being heard;
 - (d) the person, aggrieved by the decision of the Prescribed Authority given under clause (c), may prefer an appeal to the Appellate Authority. The Appellate Authority shall dispose off this appeal within 30 days, after having given adequate opportunity of hearing to the parties and the decision of such Appellate Authority shall be final;
 - (e) the decision of prescribed authority given under clause (c) and the decision of the Appellate Authority given under clause (d) shall be enforceable as the judgment of a civil court and the sum awarded shall be recoverable as arrears of land revenue;
 - (f) any dispute, relating to contract farming agreement or related thereto, shall be decided in accordance with the provisions mentioned therein and shall not be raised in any court;
 - (g) any Agricultural produce, covered under a contract farming agreement, may be sold to a contract farming sponsor outside a Mandi area and in such matters, no Mandi fees shall be levied.

CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS

Suit against
the Committee

80. (1) No suit shall be instituted against any Committee, its Chairman, Vice-chairman or any member, officer or servant thereof, for anything done, or purported to be done, in its or his official capacity until the expiration of two months from the date of service of a notice in writing, stating the cause of action, the name and place of abode of the plaintiff and the relief claimed.
- (2) The notice under sub-section (1) shall -
- (i) where it is a notice to the Committee, be delivered at its office on any working day or handed to its Chairman, Vice-chairman or Secretary or be sent by registered post;
 - (ii) in any other case, be delivered to the person concerned or be sent by

registered post; and

- (iii) nothing in sub-section (1) shall be construed to apply to suit wherein the only relief claimed is an injunction, of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

Recovery of dues as land revenue	81.	Any sum, due to the State Government from the Board or a Committee, or to the Board from a Committee, or to a Committee from another Committee or to a person from Committee may be, recovered as arrears of land revenue.
Registration and renewal	82.	<p>(1) Any person who wants to carry on business or work as a Trader, Commission Agent, Dalal, Palledar, Warehouseman, Contract Farming Buyer, Processor, Owner or Manager of a factory or in such other capacity, may apply to the Market Committee for registration or renewal within such period and in accordance with such procedure, as may be prescribed. except under and in accordance with the conditions of license obtained therefore from the Committee concerned.</p> <p>(2) The Market Committee may grant or renew the registration or refuse to register or renew the registration, on the basis of one or more following reasons -</p> <p>(a) the applicant is a minor or is not bonafide;</p> <p>(b) the applicant has been declared defaulter under this Act and Rules and bye-laws made there under; or</p> <p>(c) the applicant has been declared guilty under this Act.</p> <p>(3) (a) the application received under sub-section (1) shall be disposed off by the Market Committee as required in sub-section (2) within four weeks; but if the Market Committee fails to dispose off the applications within four weeks, then-</p> <p>(i) the applicant may send a written reminder to the Market Committee about his application;</p> <p>(ii) In addition, the applicant may inform in writing to the Authority, which has been prescribed by Managing Director of the Board.</p> <p>(b) on expiry of the period of two weeks after submitting the reminder, if the application is not disposed off, it shall be deemed that the registration or its renewal, as the case may be, has been granted;</p> <p>(c) the Prescribed Authority, on the basis of information received by him and after expiry of time of two weeks, shall only confirm that application for registration/ renewal was submitted to the Market Committee and due action has not been taken by the Market Committee for disposal of the same and then, he shall issue a certificate under clause (k) of sub-section (3), regarding grant of deemed registration or its deemed renewal within two weeks time.</p> <p>(4) All the registrations granted and renewed under this section, shall be subject to the provisions of this Act, rules and bye-laws made there under.</p>
Establishment of Private Yards, and Direct purchase of Agriculture produce from	83.	<p>The State Government may, subject to rules made in this behalf, grant license to purchase agricultural produce by establishing Private Yard or direct purchase from Agriculturist, in one or more Market area for-</p> <p>(a) processing of the notified agricultural produce,</p> <p>(b) trade of notified agricultural produce of particular specification,</p>

- the Agriculturist
(Direct purchase
from Producer)
- (c) export of notified agricultural produce, and / or
- (d) grading, packing and transaction in other way by value addition of notified agriculture produce.
- Establishment of
Consumer/
Farmer Market
(Direct sale by the
Producer)
84. (1) Consumer/Farmer market may be established by developing infrastructure as prescribed by any person in any market area. At such place, producer of agricultural produce himself may, as prescribed, sell his produce directly to the consumer;
 Provided that the consumer may not purchase any commodity more than as prescribed.
- (2) Market service charge shall be collected on sale of agricultural produce by the seller and will be remitted to the proprietor of the consumer market.
- (3) Save as otherwise provided in this Act, no market fee shall be livable on the transactions undertaken in the consumer/ farmers market.
- (4) License for establishment of consumer/farmer market shall be granted by the State Government or Managing Director.
- Settlement of
disputes
between
Market
Committees
85. (1) Any dispute, Arisen between two or more Market Committees (it may be of any type), shall be referred to the Managing Director or his authorized representative or any other officer authorized for this purpose by the State Government. The decision in the dispute shall be taken after giving a reasonable opportunity of hearing to both the parties in accordance with the prescribed procedure. The State Government shall constitute a "Market Regulatory Authority" on State level and may make rules for proper functioning of the said Authority.
- (2) The decision taken by the Prescribed Authority under sub-section (1) shall be final and it cannot be challenged in any civil court.
- Power of
Entry, Search
and Seizer
86. (1) The Secretary of the Market Committee or any officer authorized by the State Government or the Board in this behalf, may-
- (a) for carrying out any of the duties imposed on the Market Committee under this Act, inspect at any / all reasonable time, all accounts, registers and other documents pertaining to the purchase and sale of agricultural produce and enter any shop, godown, factory or other place, where such account books or registers or other documents or such goods are kept or are reasonably believed to be kept and take or cause to be taken such copies or extracts from such account books, registers and other documents, as may be considered necessary;
- (b) seize any account-books, registers or other documents for reasons to be recorded in writing and prepare an inventory of such account-books, registers and other documents :
- Provided that a copy of such inventory shall be furnished to the person-in-charge of such account-books, registers or other documents;
- (c) where any account-books, registers or other documents are found in the possession or control of any person in the course of a search, it may be presumed that-
- (i) such account books, registers or other documents belong to such person,

- (ii) that the contents of such books of accounts and other documents are correct, and
- (iii) that such account-books and documents are in the hand writing and signature of such person, by whom they purport to be written or regarding which it may reasonably be assumed that those signatures and hand writing are of such person of whom it should be;
- (d) seize any agricultural produce, in respect of which he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is about to be committed;
- (e) seize any vehicle or animal, in respect of which he has reason to believe to be in use or to have been used for carrying such agricultural produce and detain the same for so long, as may be necessary in connection with any proceeding or prosecution under this Act;

Provided that the person, seizing the agricultural produce, vehicle or animal shall forthwith submit a report of the seizure to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act, and the provisions of sections 457, 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply in relation to that agricultural produce, vehicle or animal seized as aforesaid, as they apply to property seized by a Police Officer;

Provided further that the grounds for seizing any such agricultural produce, vehicle or animal shall be communicated in writing, within twenty-four hours of the seizure, to the person from whose possession the same was seized, and to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act.

- (2) The provision of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be apply to searches and seizures made under this section.

Police Help 87. Any officer, authorized by the Board, Secretary of a Committee or any officer so authorized by the Committee, for the purpose of enforcing the provisions of this Act and rules and the bye-laws made thereunder and for carrying out any lawful acts, which have been entrusted to him and when necessary, can seek necessary help from a local police officer not below the rank of Sub-Inspector.

Penalty 88. (1) Any person, who contravenes any of the provisions of section 13, 14 or section 15 of this Act or the rules or bye-laws made there under, shall, on being found guilty, be punished-

- (a) for the first offence-with fine, which may extend to ten thousand rupees;
- (b) for the second and any subsequent offence of the same nature with simple imprisonment, which may extend to one year or with fine, which may extend to fifty thousand rupee or with both and in case of continuous contravention with additional fine up to rupees one thousand for everyday subsequent to the date of second conviction or any subsequent conviction, for which the contravention has continued;

Provided that, in the absence of any special or adequate reasons to the contrary, mentioned in the judgment of the court, the fine for the first offence shall not be less than two thousand five hundred rupees and for the second or subsequent offence shall not be less than ten thousand rupees.

- (2) Any person, who contravenes any provisions of this Act or the rules or bye-laws made there under, except the provisions of sections 13, 14 and section 15

and the rules and bye-laws made there under, shall be punishable with fine, which may extend to two thousand rupees and in case of continuous contravention, with a further fine of five hundred rupees for every subsequent day for which the contravention has continued after the date of the first conviction.

- (3) Whenever any person is convicted for an offence punishable under this Act, the Magistrate shall, in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay to the Market Committee, the amount of fee or any other amount due from him under this Act or the rules or bye-laws made there under and may, in his discretion, also recover summarily and pay to the Market Committee, costs of the prosecution.

Offences by companies

89. (1) If the person committing an offence under this Chapter is a company, every person, who is responsible be for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Chapter if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Chapter is committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation - For the purpose of this section -

- (a) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
(b) “Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Compounding of offence

90. (1) The Market Committee or the Chairman of the Market Committee duly authorized by a Resolution of the Market Committee in this behalf, within the jurisdiction of which such Market yard, Main Market yard or Sub Market yard or Private Market yard is situated, shall have the power to receive a sum, not exceeding Rs. Fifty thousand, by way of Composition Fees in addition to any amount recoverable from him as fee or any other dues from such person, who has Committed any offence or is reasonably believed to commit any offence punishable under this Act, Rules, and bye-laws made there under and shall compound the offence.

- (2) On the composition of any offence under sub section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, and incase any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the composition shall have the effect of his acquittal.

Trial of Offences

91. (1) No offence punishable under this Act shall be tried by a court inferior to that of a Magistrate of the First class.
(2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on the

- complaint of the Managing Director or Secretary of Market Committee or such other person, who has been authorized by the Committee by resolution passed in this behalf.
- Bye-laws 92. (1) A Market Committee may make bye-laws, not inconsistent with this Act and the rules made there under, to provide for; namely :-
- (a) regulation of its business,
 - (b) duties of Traders, Arthiyas, Brokers /Commission Agents, Weighmen and Palledars; and
 - (c) any other matter, which, by order or under this Act, is required to be provided for by bye-laws;
- Provided that no bye-law, other than a bye-law made by adopting draft or model bye-law suggested by the Managing Director, shall be valid unless approved by the Managing Director.
- (2) If, in respect of any matter specified in sub-section (1), the Committee has failed to make any bye-laws or the bye-laws made by the Committee are not, in the opinion of the Managing Director, adequate, the Managing Director may make bye-laws providing for such matters to such extent as he thinks fit.
- (3) The power under this section to make bye-laws shall be exercised, subject to any general or special directions issued by the State Government in that behalf.
- Rules 93. (1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the rules may provide for all or any of the following matters :-
- (i) the conduct of nomination of members of the Committee and matters relating thereto, and other matters relating to constitution of Committee,
 - (ii) the filling of vacancies in the office of the Chairman, Vice-chairman or other member of a Committee,
 - (iii) the nomination of the Chairman and the Vice-Chairman of the Committee,
 - (iv) the procedure relating to meetings of the Committee, which includes the quorum,
 - (v) the traveling and other allowances, that may be paid to the members of a Committee,
 - (vi) matters relating to the functions, powers and duties of a Committee and its Chairman, vice Chairman, members, officers and servants,
 - (vii) license fees and market fees, which may be levied and realized by the Committee, and their mode of recovery,
 - (viii) the terms and conditions for issue and renewal of licenses under this Act,
 - (ix) the procedure of issuing license, denial to issue license, renewal of license and cancellation of license,
 - (x) submission of monthly and annual statements by the license holders,
 - (xi) system to impose Marketing fee on the transactions of notified

- agricultural produce in the Market area,
- (xii)** the procedure to be followed in regard to the settlement of differences and disputes under this Act,
 - (xiii)** the manner in which plans and estimates for the construction work to be carried out by a Committee may be prepared and submitted for sanction or approval under this Act,
 - (xiv)** the register and books to be maintained by a Committee,
 - (xv)** the format, in which the accounts of a Committee shall be kept, the manner in which the same shall be audited, and the times at which they shall be published,
 - (xvi)** the format and particulars to be mentioned in reports and returns to be submitted by a Committee,
 - (xvii)** the manner of investment and disposal of surplus funds of a Committee,
 - (xviii)** the manner of deposit of amount in withdrawal from and maintenance and utilization of the Uttarakhand Marketing Development Fund,
 - (xix)** matters in regard to the inspection of weights and measures, and weighing and measuring instruments in use in the Market Area,
 - (xx)** the trade charges, which may be received by any person in any transaction of the specified Agricultural produce in the Principal Market Yard or Sub market Yards,
 - (xxi)** the grading and standardization of the specified agricultural produce,
 - (xxii)** exhibition of price lists of agricultural produced, specified by traders,
 - (xxiii)** the manner, in which the sale or auction of the specified agricultural produce shall be conducted and bids made and accepted in the Market area,
 - (xxiv)** the condition subject to which a Committee may lease, sell or otherwise transfer any property,
 - (xxv)** the authority for and the manner of making contracts, on behalf of the Committee,
 - (xxvi)** the terms and conditions of employment of the officers and servants of a Committee and matters relating to discipline, control, punishment, dismissal, discharge and removal of such officers and servants,
 - (xxvii)** the procedure for the hearing and disposal of appeals under this Act,
 - (xxviii)** the regulation of advances, if any, given to agriculturists by brokers, commission agents or traders,
 - (xxix)** procedure for appeal to deny for issuing license, cancellation of license and system of appeal against the order,
 - (xxx)** fees for arbitration and appeals,
 - (xxxi)** maintenance and submission of account books by Traders, Commission Agents, Brokers and Weighmen and their Inspection,
 - (xxxii)** the time, place and manner of Sampling, Sale, Purchase, Weighment and Recording of Transactions and mode of payments,

- (xxxiii) provisions of accommodation for storing any of the specified agricultural produce brought in the Market area,
- (xxxiv) procedure for preparation and submission for approval of annual budget,
- (xxxv) matters relating to the inspection of the working of Committee,
- (xxxvi) the prohibition of brokers from acting in any transaction of any of the specified agricultural produce on behalf of both the buyers and the sellers,
- (xxxvii) matter relating to nomination of members of Committees under sub-section (1) of section 17,
- (xxxviii) constitution of Centralized service under section 37,
- (xxxix) the procedure in respect of surcharge under section 34,
- (xl) any other matter which is to be or may be prescribed.

- (3) All rules made under this Act, shall, as soon as may be after they are made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the gazette, subject to such modifications or amendments as the Legislative Assembly may agree to make so, however, that any such modification or amendment shall not affect the validity of anything previously done thereunder.

Removal of Difficulties

94. If any difficulty arises in implementation in the provisions of this Act, the State Government may, by order, remove such difficulty as it may deem fit :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement in this Act.

Repeal and Savings

95. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1972 as applicable to the State of Uttarakhand) and the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhinyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 are hereby repealed in its application to the State of Uttarakhand.
- (2) Notwithstanding such repeal, any act or proceeding done under the said enactments shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of this Act.

*****_*****

SCHEDULE

[See Section 3]

(a) AGRICULTURE-

(1) Cereals :-

1. Wheat 2. Barley 3. Paddy 4. Rice 5. Jowar 6. Bajra 7. Maize 8. Bejhar
9. Manduwa 10. Oats 11. Kakun 12. Kodon 13. Kutki 14. Sawan

(2) Legumes :- 1. Gram 2. Peas 3. Arhar 4. Urad 5. Moong 6. Masoor 7. Lobia
(seed) 8. Soyabean 9. Khesari 10. Sanai (seed) 11. Dhaincha (seed)

12. Guar 13. Moth 14. Kulthi 15. Kidney bean

(3) Oilseeds :-

1. Mustard and rape seed (including Rye, Duwan, Taramira and Toria) of all kinds
2. Shuwan (seed) 3. Linseed 4. Castor seed 5. Groundnut 6. Til seed 7. Mahuwan seed
8. Gullu 9. Cotton seed 10. Saflower seed 11. Coconut

(4) Fibres :-

1. Jute 2. sunnhemp fibre 3. Cotton (ginned and unginned) 4. Patson 5. Dhaincha
6. Rambans 7. Mesta

(5) Narcotics :-

1. Tobacco

(6) Spices :-

1. Coriander 2. Ripe Chillies 3. Methi (seed) 4. Dry Ginger 5. Sonf (aniseed)
6. Turmeric 7. Dry Mango sliced and Amchoor 8. Cumin seed

(7) Grass and Fodder :-

1. All types and Fodder (green and dried) 2. Bhusa

(8) Miscellaneous :-

1. Chaolai (seed) 2. Poppyseed 3. Ramdana 4. Walnuts 5. Ban 6. Neemseed
7. Celery seed 8. Ambri seed 9. Mahuwa flower (dry) 10. Churaunjee 11. Berseem
(seed) 12. Lucern (seed) 13. Makhana 14. Sugarcane 15. Mesta seed 16. Gur (gurlauta,
gurbalti, gurraskat, gurbadda) 17. Rab (salawat and galawat) 18. Piperment 19. Ganne
ki Khoi (Begas) 20. Mushroom

(b) HORTICULTURE :-

(1) VEGETABLES :-

1. Potato 2. Onion 3. Garlic 4. Sweet Potato 5. Colocasia 6. Ginger (green) 7. Kachalu
8. Chillies 9. Tomato 10. Cabbage, Cauliflower (knol and Khol) 11. Carrot 12. Radish
13. Brinjal 14. Tinda 15. Bottle gourd 16. Green peas

17. Turnip 18. Parwal 19. Beans 20. Saag (of all kinds) 21. Betel leaves 22. Beet root
23. Yam 24. Elephant root 25. Lettuce 26. Dill 27. Jack fruit (green) 28. Cucumber
29. Sanke gourd 30. Bitter gourd 31. Sponge gourd 32. White gourd 33. Lady's finger
34. Pumpkin 35. Cluster Beans 36. Tamaring 37. Banda 38. Singhara 39. Lobia (green)
40. French Bean.

(2) Fruits :-

1. Lemons 2. Orange 3. Mosambi 4. Sweet Orange (Malta) 5. Grape fruit 6. Banana
7. Pomegranates 8. Strawberries 9. Musk-melon 10. Water-melon 11. Snap Melon 12.
Papaya 13. Phalsa 14. Poppy 15. Apple 16. Guava 17. Ber 18. Aonla 19. Litchi
20. Chiku 21. Peaches 22. Laquat 23. Bael 24. Pine apple 25. Mango 26. Pulam 27.
Fig 28. Jack fruit (ripe) 29. Kamrakh 30. Karonda 31. Dates 32. Khirmi 33. Apricot
34. Jamun 35. Pear 36. Custard apple 37. Mulberry 38. Pumelo 39. Raspberry

(c) FLORICULTURE

(d) VETICULTURE

1. Grapes

(e) APICULTURE

1. Honey 2. Wax

(f) SERICULTURE

1. Silk

(g) PISCICULTURE

1. Fish

(h) ANIMAL HUSBANDRY PRODUCTS

1. Poultry 2. Eggs 3. Cattle 4. Sheep 5. Goat 6. Butter 7. Ghee 8. Khoya
9. Cottage cheese 10. Milk 11. Hides and Skins 12. Bones 13. Meat 14. Bristles
15. Wool

(i) FOREST PRODUCTS

1. Gum 2. Wood 3. Tendu leaves 4. Lac 5. Reetha 6. Catechu 7. Resin

*****-----*****

